हि0 प्र0 आवास बोर्ड मंडल, धर्मशाला जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अंकेक्षण की अवधि 4/95 से 3/96

भाग-I

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित निपटाए गए तथा अनिर्णीत पड़े पैरों का विवरण निम्न दिया जाता है । अनिर्णीत पड़े पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(क) अवधि 4/84 से 3/85 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 4(1):- अनिर्णीत

(ख) अवधि 4/86 से 3/87 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 5(ई) :- अनिर्णीत

(ग) अवधि 4/87 से 3/88 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 5(ए)(1):- अनिर्णीत
2. पैरा 5(क्यू) :- अनिर्णीत
3. पैरा 6(डी) :- अनिर्णीत

(घ) अवधि 4/89 से 3/90 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4(1)(सी) :- अनिर्णीत
2. पैरा 4(7)(ई) :- अनिर्णीत
3. पैरा 4(21)(सी):- निर्णीत
4. पैरा 5(1,2,5,7 तथा 8):- अनिर्णीत
5. पैरा 5(10):- निर्णीत
6. पैरा 5(11,12):- अनिर्णीत
7. पैरा 6(3):- अनिर्णीत
8. पैरा 7(2)(सी से एफ0 तक):- अनिर्णीत
9. पैरा 7(3)(ए)(2):- अनिर्णीत
10. पैरा 8(6 और 17):- अनिर्णीत

(ड.) अवधि 4/90 से 3/91 तक को अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 4(10)(ग):- अनिर्णीत
2. पैरा 4(12):- अनिर्णीत
3. पैरा 6(5):- अनिर्णीत
4. पैरा 9(6) :- अनिर्णीत
5. पैरा 9(8) :- अनिर्णीत

लगातार पृष्ठ 2 पर.......

263

(च) अवधि 4/91 से 3/92 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. पैरा 5(ङ)(1):- निर्णीत
2. पैरा 5(घ) :- अनिर्णीत
3. पैरा 7(क) :- अनिर्णीत
4. पैरा 10(ग) :- अनिर्णीत
5. पैरा 11(च) :- अनिर्णीत
6. पैरा 12(घ) :- निर्णीत

(छ) अवधि 4/92 से 3/93 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4 :- अनिर्णीत
2. पैरा 5 :- अनिर्णीत
3. पैरा 6 :- अनिर्णीत
4. पैरा 10 :- अनिर्णीत
5. पैरा 11 :- अनिर्णीत
6. पैरा 17 :- अनिर्णीत

(ज) अवधि 4/93 से 3/94 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 6(ग) :- अनिर्णीत
2. पैरा 8 :- अनिर्णीत
3. पैरा 9 :- अनिर्णीत
4. पैरा 13(ख) :- अनिर्णीत
5. पैरा 16 :- अनिर्णीत
6. पैरा 19(1) :- आंशिक रूप से निपटाया गया ।
7. पैरा 21 :- अनिर्णीत
8. पैरा 22 :- अनिर्णीत
9. पैरा 24(ग):- अनिर्णीत
10. पैरा 25(क) :- अनिर्णीत
11. पैरा 25(घ) :- अनिर्णीत
12. पैरा 29 :- अनिर्णीत
13. पैरा 30 :- अनिर्णीत

(झ) अवधि 4/94 से 3/95 तक की अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :-

1. पैरा 4 :- निर्णीत
2. पैरा 5 :- अनिर्णीत
3. पैरा 6 :- अनिर्णीत
4. पैरा 7 :- अनिर्णीत
5. पैरा 8 :- अनिर्णीत
6. पैरा 9 :- अनिर्णीत
7. पैरा 10 :- अनिर्णीत
8. पैरा 11 :- अनिर्णीत

लगातार पृष्ठ 3 पर......

34 185.00
35 855.00
23.00

:= 3 =:

264

9.	पैरा 12 :-	अनिर्णीत
10.	पैरा 13 :-	अनिर्णीत
11.	पैरा 14 :-	निर्णीत
12.	पैरा 15 :-	निर्णीत
13.	पैरा 16 :-	अनिर्णीत
14.	पैरा 17 :-	निर्णीत
15.	पैरा 18 :-	निर्णीत
16.	पैरा 19 :-	निर्णीत
17.	पैरा 20 :-	निर्णीत
18.	पैरा 21 :-	निर्णीत
19.	पैरा 22 :-	निर्णीत
20.	पैरा 23 :-	निर्णीत
21.	पैरा 24 :-	अनिर्णीत
22.	पैरा 25 :-	अनिर्णीत
23.	पैरा 26 :-	अनिर्णीत
24.	पैरा 27 :-	~~अनिर्णीत~~ निर्णीत
25.	पैरा 28 :-	अनिर्णीत
26.	पैरा 29 :-	निर्णीत
27.	पैरा 30 :-	अनिर्णीत
28.	पैरा 31 :-	अनिर्णीत
29.	पैरा 32 :-	आंशिक रूप से निपटाया गया ।
30.	पैरा 33 :-	अनिर्णीत
31.	पैरा 34 :-	आंशिक रूप से निपटाया गया ।
32.	पैरा 35 :-	अनिर्णीत
33.	पैरा 36 :-	निर्णीत
34.	पैरा 37 :-	निर्णीत
35.	पैरा 38 :-	निर्णीत
36.	पैरा 39 :-	निर्णीत
37.	पैरा 40 :-	निर्णीत
38.	पैरा 41 :-	अनिर्णीत
39.	पैरा 42 :-	अनिर्णीत
40.	पैरा 43 :-	निर्णीत
41.	पैरा 44 :-	अनिर्णीत
42.	पैरा 45 :-	निर्णीत
43.	पैरा 46 :-	अनिर्णीत

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :- अवधि 4/95 से 3/96 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिए गए हैं, सर्वश्री पदम सिंह ... पृष्ठ 4 पर......

लेख राज चौहान, एस0 एस0 कश्यप तथा डी.एस. चौधरी, अनुभाग अधिकारियों द्वारा श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक, के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.12.96 से 24.12.96 तक धर्मशाला में किया गया। मास 9/95 तथा 3/96 के लेखाओं का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया तथा निम्न पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया गया।

3. लेखा परीक्षण शुल्क:- निर्माण मण्डल, धर्मशाला के वर्ष 1995-96 के लेखाओं के लेखा परीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु हि0 प्र0 आवास बोर्ड मुख्यालय को पृथक से सूचित किया जाएगा।

4. अग्रिम :-

(क) कर्मचारी वर्ग को अग्रिम :- हि0 प्र0 आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला के अधीन कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निम्न अग्रिमों के रूप में निम्नलिखित राशियां दिनांक 31.3.1996 को समायोजन हेतु बकाया पड़ी थी। जिनका पूर्ण विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में वर्णित है अग्रिम राशियों को समय पर वसूल न करने की स्थिति को बोर्ड के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। लेखा परीक्षण में यह भी पाया गया कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी इस मण्डल से स्थानान्तरित भी हो चुके हैं परन्तु अग्रिम राशियों का समायोजन करवाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। इस सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही शीघ्र की जाए।

(1) स्थानान्तरण यात्रा अग्रिम :-	(-) 5554.00रुपये
(2) यात्रा भत्ता अग्रिम :-	1700.00रुपये
(3) स्टाफ अग्रिम :-	8601.00रुपये
(4) वेतन अग्रिम :-	(-) 4822.00रुपये

(ख) विविध अग्रिम :- हि0 प्र0 आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला के अधीन विभिन्न विभागों/संस्थाओं/फर्मों/ तथा कर्मचारियों के नामों पर दिनांक 31.3.1996 को मुबलिग 19,49,306.64रुपये की राशि समायोजनार्थ शेष पड़ी थी जिसका विवरण आवास बोर्ड के वार्षिक लेखाओं में दिया गया है। उपरोक्त अग्रिमों की समय पर वसूली/समायोजन नहीं करने की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है क्योंकि इन अग्रिमों का बकाया उन द्वारा अपने पास बिना किसी औचित्य के ही रखना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु अनुचित भी है। इस के विपरीत अग्रिम राशियों को वसूलने/समायोजन करने हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(5) आवास बस्ती पालमपुर तथा कांगड़ा के मकान/प्लाट मालिकों से मार्च 1996 तक 2,01,091.00रुपये की किश्तों के रूप-रखाव के रूप में वसूली न करना :-

लगातार पृष्ठ 5 पर...

— 266 —

आवास बोर्ड की पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों से प्राप्त होने वाले रख रखाव प्रभार का कोई भी अभिलेख मण्डल कार्यालय में नहीं रखा गया है जिसका समय-2 पर अवलोकन/जांच करने के उपरान्त लम्बित पड़ी प्रभार के रूप में वसूल की जाने वाली इन राशियों की वसूली हेतु मण्डल स्तर पर प्रयास किए जा सके या जिस के आधार पर सम्बन्धित उप मण्डलों को इन राशियों को तुरन्त या सुनियोजित ढंग से वसूल करने के निर्देश दिए जा सके। इसके अतिरिक्त आवास बोर्ड मण्डल के कार्यालय में किस वित्तिय वर्ष में कितनी वसूलियां की गईं व कितनी वसूलियां शेष है, का पूर्ण अभिलेख खातों में दर्ज करना आपेक्षित है तथा यह सूचना वार्षिक लेखों में भी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि सम्पूर्ण डेबिट्स तथा क्रेडिट्स का तभी पता चल सकेगा। उप मण्डल पालमपुर तथा कांगड़ा द्वारा रखे गए रख रखाव प्रभार के शेष खातों की जांच के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.1996 तक पालमपुर तथा कांगड़ा की बस्तियों के मकान/प्लाट मालिकों से लगभग 2,01,091.00रुपये की वसूलियां शेष थी तथा कुछ मकान/प्लाट मालिकों से इस प्रभार को लागू करने की तिथि से अंकेक्षण की अवधि तक किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की गई थी। रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी राशियों को वसूल करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः शेष प्रभार की राशियों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। दिनांक 31.3.96 तक इस प्रभार की शेष वसूलियों का विवरण निम्न प्रकार था :-

(क) **आवास बस्ती पालमपुर :-**

क्रम संख्या	नाम	प्लाट/मकान सं0	बकाया राशि
1.	श्री ओ0पी0सूद	4	2213.00
2.	श्री एस0 सी0 व्यास	6	1036.00
3.	श्री हिमाल चन्द	7	3718.00
4.	श्री एस0एल0 धर	11	3549.00
5.	श्री रविन्दर सिंह	12	2520.00
6.	श्री गोलक नाथ	5	1669.00
7.	श्री नवीन कुमार	16	2521.00
8.	श्री पी0 सी सोकला	14	1669.00
9.	श्री एस.पी. कश्यप	19	2033.00
10.	श्री एस पी0अबरोल	18	217.00
11.	श्रीमति आदर्श सूद	20	587.00
12.	श्रीमति चंचल सूद	37	4191.00
13.	श्री जी.सी. अग्रवाल	45	5332.00
14.	श्रीमति जगदम्बा देवी	38	2576.00
15.	श्री के. के.परमार	52	2621.00
16.	श्रीमति प्रोमिला देवी	53	1199.00

लगातार पृष्ठ 6 पर.......

	34	185.00
19. श्री वी.एम.भारद्वाज	35	855.00
		23.00

- 267 -

17. श्री आर0 पी0 नागपाल	55	683.00
18. श्री आर0 सी0 गुप्ता	56	2440.00
19. श्रीमति जय देवी	57	683.00
20. श्री हरवंश लाल धीमान	58	1730.00
21. श्रीमति विमला देवी	59	1730.00
22. श्रीमति रजनी देवी	60	1165.00
23. सी0एस0आई,आर0विभाग	21 से ~~23~~ 31	39072.00
24. मुख्या अभियन्ता धर्मशाला	30,40,42	16144.00
25. सी0एस0आई0आर0विभाग	38	5250.00
26. श्री आर0 सी0कटवाल	46	5328.00
27. सी.एस.आई.आर. विभाग	47,48	10656.00
28. श्री अशोक मल्होत्रा	50	5328.00
29. श्री पी.सी. मनकोटिया	34	3552.00
30. मुख्या अभियन्ता सड़क,धर्मशाला	65 से 98	9611.00
31. श्री शेर सिंह	81	150.00
32. सी. एस. आई.आर. विभाग	78,88,90 से 93	14617.00
33. श्री आर.के. सूद	94	683.00
34. मुख्या अभियन्ता सड़क,धर्मशाला	2,3	11430.00
35. श्रीमति मीरा वरमानी	73	152.00
36. श्री गोयल कृष्ण सूद	74	145.00
	कुल जोड़	168200.00

§ख§ आवास वस्ती कांगड़ा:-

क्र.सं.	मकान /प्लाट मालिक का नाम	मकान/प्लाट सं0	बकाया राशि
1.	श्री मधु सुदन	2	1780.00
2.	श्री के. सी. कटोच	6	1550.00
3.	श्री विश्वा मित्र	1 तथा 15	248.00
4.	श्री एस.पी.शर्मा	16	855.00
5.	श्री एम.एल.शर्मा	17	199.00
6.	श्री रजनेश महाजन	18	855.00
7.	मेजर रमेश चन्द	19	17.00
8.	श्री.ओ. पी. शर्मा	20	855.00
9.	श्री एल.एल.शर्मा	21	855.00
10.	श्री राम सनेही शर्मा	22	885.00
11.	श्री सत्या पाल शर्मा	24	186.00
12.	श्री रवि कुमार शर्मा	25	855.00
13.	श्री एम.एल.शर्मा	26	186.00
14.	श्री रेनो कुमार	27	248.00
15.	श्री एस.के.चौधरी	28	1091.00
16.	श्रीमति रेवा कुमारी	29	855.00

लगातार पृष्ठ 7 पर...

-268-

17. श्री गोपाल कृष्ण	33	185.00
18. श्री पी.एस.नैयर	34	855.00
19. श्री वी.एम.भारद्वाज	35	23.00
20. श्री रमेश चन्द शर्मा	36	855.00
21. श्री ए.एस.माथुर	1 व 37	199.00
22. श्री ज्ञान सिंह	38	78.00
23. श्री हंस राज शर्मा	39	855.00
24. श्री आर.के. सूद	40	855.00
25. श्री के.सी. भारद्वाज	42	855.00
26. श्री सुरेन्दर कुमार	43	17.00
27. श्री राम नन्द शर्मा	45	855.00
28. श्री सन्जीव कुमार	46	78.00
29. श्री के.के. दुग्गल	47	79.00
30. श्री ललित खन्ना	48	855.00
31. श्रीमति विर प्यारी	49	855.00
32. श्री रमेश चन्द अरोड़ा	50	248.00
33. मेजर एस.आर.शर्मा	51	855.00
34. श्रीमति ऊषा मनोचा	52	186.00
35. श्री वी.के. खैर	53	855.00
36. श्री सन्जीव हाण्डा	54	1108.00
37. श्री एस एल०अबरोल	59	497.00
38. श्री रपिन्दर कुमार	62	497.00
39. श्री अनिल सूद	61	497.00
40. श्री नरेन्द्र कुमार	63	497.00
41. श्रीमति सरिता थापर	65	497.00
42 श्री नरेन्द्र कुमार	67	~~497.00~~ 11.00
~~43. श्रीमति सरिता थापर~~		
43. श्री राम स्वरूप शर्मा	69	116.00
44. श्री वृज मोहन शर्मा	70	116.00
45. श्री महेन्दर सिंह	71 ~~497.00~~	497.00
46. श्री विनोद कुमार	72	497.00
47. श्रीमति मोतिया रानी	73	116.00
48. श्रीमति स्वाा वधुजा	74	497.00
49. श्रीमति ऊषा नागपाल	75	497.00
50. श्री प्रबोध भाटिया	76	116.00
51. श्रीमति विमला देवी	83	116.00
52. श्रीविनय प्रकाश	84	116.00
53. श्रीमति सन्तोष वर्मा	85	497.00
54. श्री अविनाश कुमार	86	497.00
55. श्री विनोद कुमार शर्मा	1	438.00
56. श्री कन्हैया लाल	4	438.00
57. श्री वेद प्रकाश चौधरी	5	438.00

लगातार पृष्ठ 8 पर.. ...

58. श्री राजेन्दर कुमार	7		438.00
59. श्री प्रदीप राज	8		438.00
60. श्री मोहन लाल	9	~~438x00~~	438.00
61. श्री दलीप कुमार	10		438.00
62. श्री जनक चावला	11		360.00
63. श्रीमति गुलशन रानी	40		19.00
64. श्री विनय कुमार	12 ए		52.00
65. श्री कवाल मोंगा	41		102.00
66. श्रीमति मंजू ग्रोवर	43		438.00
67. श्री ~~स्वव~~ रनजीत शर्मा	44		438.00

कुल जोड़ 32,891.00

(6) सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेन्ट की खरीद हि0 प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे सिमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से करने की बजाए सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से करने की ~~बजाए सिविल सप्लाई कार्पोरेशन~~ के कारण आवास बोर्ड को वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 57,480/=रुपये की हानि:-

वर्ष 1995-96 के लेखाओं की जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला द्वारा सिमेन्ट की खरीद करते समय सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिमेन्ट की खरीद हि0 प्र0 सिविल सप्लाई कार्पोरेशन, शिमला के माध्यम से सीधे सिमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से करने की बजाए निम्नलिखित विवरणानुसार सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से भी की जाती रही है। अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से क्रय किया गया सिमेन्ट सीधे सिमेन्ट फैक्टरी, बरमाणा से क्रय कियेगए सिमेन्ट से औसतन मंहगा पड़ता था। अंकेक्षण के दौरान ही यह भी देखा गया कि मण्डल में निर्माणाधीन कार्यों की वास्तविक/आपेक्षित आवश्यकताओं को मध्य नजर रखते हुए समय-2 पर सिमेन्ट की खरीद सीधे बरमाणा फैक्टरी से करने की बजाए कुछ मामलों में जब सिमेन्ट की वास्तविक तौर पर आवश्यकता नहीं थी तब भी सिमेन्ट की स्थानीय डिपुओं से खरीद करके सिमेन्ट को कई महीनों तक भण्डार में रखा गया। अतः सिमेन्ट की सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अवहेलना करके सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से क्रय करके न केवल आवास बोर्ड को भारी आर्थिक हानि हो रही है अपितु इस गलत क्रय नीति के कारण निर्माणाधीन भवनों की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

अतः इस सम्पूर्ण प्रकरण की विभागीय तौर पर छानबीन की जाए तथा अधिक किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशियों की दोषियों से शीघ्र वसूली की जाए तथा भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत दर संविदा की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

लगातार पृष्ठ 9 पर...

270

सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के स्थानीय डिपुओं से क्रय किए गए सिमेन्ट का विवरण निम्न प्रकार से दिया जाता है :-

क्र०सं०	जी०आर०सं० व दिनांक	खरीदे गए सिमेन्ट की मात्रा	दर प्रति बोरी	बरमाणा फैक्टरी से सीधे क्रय किए गए सिमेन्ट की प्रति बोरी दर	कुल अधिक भुगतान
	(क) पपरोला सैक्शन				
1.	2297 दि0 23.5.95	200 बोरी	141=00रु.	122.00रुपये	3800.00रु.
2.	2377 दि0 16.10.95	400 बोरी	148.00	129.00	7600.00रु.
3.	2381 दि0 27.11.95	200 बोरी	148.00	129.00	3800.00
	(ख) पालमपुर उप मण्डल				
4.	2313 दि0 5.5.95	180 बोरी	144.00	124.00	3600.00
5.	2314 दि0 16.5.95	180 बोरी	144.00	124.00	3600.00
6.	2325 दि0 25.9.95	180 बोरी	150.00	131.00	3420.00
7.	2401 दि0 11.10.95	180 बोरी	150.00	131.00	3420.00
8.	2402 दि0 20.10.95	180 बोरी	150.00	131.00	3420.00
9.	2408 दि0 2.2.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
10.	2414 दि0 22.3.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
11.	2415 दि0 30.3.96	180 बोरी	153.00	130.00	4140.00
	(ग) चम्बा उप-मण्डल				
12.	2355 दि0 8.9.95	240 बोरी	158.00	148.00	2400.00
				कुल अधिक भुगतान	47480.00रु.

(7) उप मण्डल चम्बा के लिये सिमेन्ट फैक्टरी बरमाणा से खरीदी गई 1980 बोरियों में से 1974 बोरियों को पपरोला पालमपुर, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों को स्थानान्तरण/ढुलान करने से आवास बोर्ड को मु0 50,690.00रुपये की सीधी हानि ।

सहायक अभियन्ता उपमण्डल चम्बा द्वारा दिनांक 1.8.1995 को पत्र संख्या:-सी0एस0डी0/एच0बी0/5-2/95/173 द्वारा मण्डलीय कार्यालय धर्मशाला से चम्बा उपमण्डल के अधीन विभिन्न निर्माणाधीन 2000 सिमेन्ट की कार्यों के लिये बोरियां उपलब्ध करवाने के लिये मामला उठाया गया । सहायक अभियन्ता द्वारा भेजी गई सिमेन्ट की मांग को मद्देनजर रखते हुये अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला मण्डल ने 99 मिट्रिक टन (1980 बोरी) सिमेन्ट की आपूर्ति के लिये आपूर्ति आदेश संख्या: ध0. म0./आ0.वो0/एस0 1-94/2923-30 दिनांक 29.8.1995 के साथ बैंक ड्राफ्ट संख्या 065622 दिनांक 29.8.95 का सिविल सप्लाई कार्पोरेशन बिलासपुर को राशि मु0 294307.00रुपये का अग्रिम भुगतान किया ।

लगातार पृष्ठ 10 पर....

लगातार पृष्ठ 10 पर....

271

मु0 294307.00रुपये की राशि के अग्रिम भुगतान के एवज में सिमेन्ट फैक्ट्री बरमाणा (बिलासपुर) से कुल 1980 बोरियां प्राप्त किया गया जिस का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र0सं0	जी0आर0 संख्या व दिनांक	मात्रा
1.	2356 दिनांक 18.9.95	344 बोरी
2.	2357 दिनांक 23.9.95	360 बोरी
3.	2358 दिनांक 25.9.95	180 बोरी
4.	2359 दिनांक 26.9.95	360 बोरी
5.	2360 दिनांक 28.9.95	180 बोरी
6.	2361 दिनांक 29.9.95	180 बोरी
7.	2362 दिनांक 5.10.95	180 बोरी
8.	2363 दिनांक 14.10.95	180 बोरी
9.	2364 दिनांक 2.2.96	16 बोरी
	जोड़	1980 बोरी

टिप्पणी:- 2.2.96 को 16 बोरियां स्थानीय सिविल सप्लाई चम्बा के डिपो से प्राप्त की गई ।

उपरोक्त 1980 बोरियों में से दिनांक 10.1.1996 व 29.1.1996 को इन्डैंट संख्या 8630 व 8631 द्वारा मात्र 2 बोरियां व 4 बोरियां डाईट कम्पलैक्स चम्बा के कार्य के लिये जारी की गई । शेष 1974 बोरियों को जिन का अनावश्यक तौर पर चम्बा के कार्यों के लिये माह 9/95 के क्रय किया गया था को माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 1996 में उपमण्डल पपरोला, पालमपुर धर्मशाला व देहरा को स्थानान्तरित कर दिया क्योंकि वास्तविक तौर पर चम्बा में निर्माणाधीन भवनों के कार्य निष्पादन के लिये तत्काल इतनी बड़ी सिमेन्ट की मात्रा की कोई भी आवश्यकता नहीं थी तथा क्योंकि माह 9/95 से 31.3.96 तक चम्बा में उपरोक्त वर्णित मात्रा के अतिरिक्त सिमेन्ट जारी /उपयोग नहीं किया गया है जिस से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रय का आंकलन तैयार करते समय वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण बहुत ही गैर जिम्मेदारी ढंग से किया गया प्रतीत होता है । सिमेन्ट को चम्बा से अन्य उपमण्डलों को ढुलाई करने के लिये मु0 50,690.00 रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की गई तथा इस के विपरीत अगर सिमेन्ट की इस मात्रा की आपूर्ति बरमाणा से सीधे पपरोला, पालमपुर, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों में प्राप्त की जाती तो निश्चित तौर पर लगभग इतनी ही राशि के भुगतान को जो मूल आपूर्ति के लिये किया गया था, को भी बचाया जा सकता था । अतः पहले बरमाणा से चम्बा तथा फिर चम्बा से पपरोला, पालमपुर व देहरा उपमण्डलों को जो बरमाणा के अति निकट है, सिमेन्ट की ढुलाई करने के कारणों की पूरी छानबीन की जाये क्योंकि जब चम्बा में वास्तविक तौर पर सिमेन्ट की आवश्यकता ही नहीं थी तो वहां आपूर्ति प्राप्त करने का क्या औचित्य था । अतः पहले चम्बा को और फिर चम्बा से वापिस अन्य स्थानों के लिये सिमेन्ट के ढुलान के ऊपर जो मु0 50,690.00रुपये

लगातार पृष्ठ 11 पर...

— 272 —

की अतिरिक्त राशि व्यय की गई है का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं० इन्डैंट सं० व दिनांक	मात्रा	सिमेन्ट की लदाई /उतराई व ढुलाई के एवज में भुगतान की कुल राशि ।	उपमण्डल/स्थान जहाँ सिमेन्ट की ढुलाई की गई ।
8836/19.1.96	360	8750.00	उपमण्डल धर्मशाला जी.आर.सं. 2424 दिनांक 20.1.96
2. 8716/5.2.96	180	4798.00	उपमण्डल देहरा
3. 8747/12.2.96	360	10280.00	उपमण्डल पालमपुर
4. 8598/13.2.96	360	10460.00	-"- पपरोला
5. 8839/19.2.96	354	7652.00	-"- धर्मशाला
6. 8842/4.3.96	360	8750.00	-"- धर्मशाला
	जोड़	50690.00	

अतः दोषपूर्ण क्रय नीति के कारण आवास बोर्ड को सीधे तौर पर लगभग 50690.00रुपये की हानि हुई जिस की पूर्ण जिम्मदारी तय की जाये तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से हानि की राशि की तुरन्त वसूली की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की दोषपूर्ण क्रय प्रणाली पर अंकुश लगाने के लिये प्रभावी पग उठाये जायें ।

§8§ संविदाकार को राशि मु0 21,988/=रुपये का अनियमित रुप से भुगतान दर्शाकर राशि का दुर्विनियोजन ।

भुगतान वाउचर संख्या: - 34 मास 3/96 संविदाकार का नामः श्री अजय कुमार

अनुबन्ध संख्या :- 15 वर्ष 1994-95

उपरोक्त कार्य के द्वितीय चलित बिल की मद संख्या 3/5 ,प्रोवाईडिंग एवं इन्जैक्टिंग कैमिकल इमलशन——— के भुगतान से सम्बन्धित प्रविष्टियों की माप पुस्तिका संख्या 765/95 पृ0 संख्या 17 की जांच करने पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई :-

§1§ उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल सहायक अभियन्ता , उपमण्डल धम्बा द्वारा केवल राशि मु0 96,204.00रुपये के कुल भुगतान हेतु सत्यापित किया गयाथा । तदोपरान्त इस बिल में अनियमित रुप से §पेण§ इन्टरपोलेशन§ तथा कटिंग करके इस बिल की कुल राशि को 96,204/=रुपये से बढ़ाकर राशि मु0 1,18,933/=रुपये के भुगतान हेतु पारित किया गया ।

§2§ जब उपरोक्त बिल सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित किया तो कार्य की उपरोक्त आंकी गई मद संख्या :3/5 की मात्रा केवल 1161.67 वर्ग मीटर ही थी । इस निर्माण कार्य के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका संख्या 764 पृष्ठ 12 पर.....

लगातार पृष्ठ 12 पर.....

संख्या 9 पर उपरोक्त मद के कार्यान्वयन से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियाँ करके इस मद के कार्य की मात्रा 628.23 वर्ग मीटर और बढ़ा दी गई तथा इस मात्रा को माप पुस्तिका संख्या 765 के पृष्ठ संख्या 17 पर इस मद के पूर्व में किए गए कार्य की मात्रा में 628.23 वर्ग मीटर मात्रा को जोड़ करके भुगतान योग्य मात्रा को 1161.67 वर्ग मी0 से बढ़ाकर 1789.90 वर्ग मी0 तथा भुगतान योग्य राशि को भी 40658/=रुपये के स्थान पर मु0 62,646/=रुपये कर दिया गया है।

§3§ इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका संख्या 764 के पृष्ठ संख्या 9 पर उपरोक्त कार्य की 628.23 वर्ग मीटर मात्रा की जांच उपरान्त पाया गया कि यह रिकार्ड प्रविष्टियाँ नियमानुसार ठीक प्रतीत नहीं होती क्योंकि अनुबन्ध की मद संख्या 5 के अनुसार बिल्डिंग के धरातल मंजिल का केवल पैलिन्थ क्षेत्रफल ही भुगतान हेतु मापा जाना था। जबकि 628.23 वर्ग0 मी0 की मात्रा पैलिन्थ क्षेत्रफल के माप से सम्बन्धित न होने के कारण भुगतान हेतु मान्य नहीं थी।

§4§ उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कार्य की उपरोक्त मद "छुपी हुई" होनेके फलस्वरूप सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा नियमानुसार शतप्रतिशत जांच की जानी वांछित थी। इस मद की विभिन्न माप-पुस्तिकाओं में की गई रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि भुगतान की गई ~~1789.90~~ 1789.90 वर्ग मी0 मात्रा में से केवल 186.98 वर्ग मी0 मात्रा ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित की गई थी।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि ~~माप~~ माप-पुस्तिका में इस मद की 628.23वर्ग0मीटर मात्रा अनियमित एवं संदिग्ध ढंग से रिकार्ड प्रविष्टि करके मु0 35/=रुपये प्रति वर्ग0 मी0 की दर से कुल राशि मु0 21988/=रुपये का भुगतान दर्शा कर इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया लगता है। इस सम्बन्ध में तथ्यों की शीघ्र छानबीन करके वस्तुस्थिति से तथा दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सहित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

§ख§ उपरोक्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार कुल 27.555 ~~मी~~ मीट्रिक टन स्टील ठेकेदार श्री अजय कुमार को जारी किया गया लेकिन द्वितीय चलित बिल तक केवल 12.60 मीट्रिक टन स्टील की ही खपत की गई थी।

अनुबन्धानुसार यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना ~~अ~~ अनुबन्धित था परन्तु अधिशासी अभियन्ता एन0 डब्ल्यू0 आर0 ओ0 चण्डीगढ़ की इन्सपेक्शन रिपोर्ट दिनांक 12.10.95 के अवलोकन पर पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय ~~XX~~ के आदेशानुसार इस कार्य के निर्माण पर दिनांक 24.8.95 से रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद मास 9/95 में 1.190 मीट्रिक टन स्टील ठेकेदार को जारी किया गया जिससे न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना हुई। अतः शेष बची स्टील की मात्रा 14.955 मीट्रिक

लगातार पृष्ठ 13 पर....

टन जिसकी कुल कीमत मु0 201,892.50रूपये दर 13,500/=रूपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से बनती है, की वापसी संविदाकार से करने के बाद स्टॉक में गणना की जाए अन्यथा शेष बची स्टील की दुगनी दरों पर वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

क्र0सं0	इन्डैन्ट नं0	दिनांक	स्टील मीट्रिक टन
1.	8410	9.3.95	4.700
2.	8412	31.3.95	18.065
3.	8420	21.7.95	2.930
4.	8424	11.8.95	0.760
5.	8626	8.9.95	0.610
6.	8627	8.9.95	0.490
		कुल जारी की गई मात्रा	27.555
		द्वितीय चलित बिल तक वसूली	12.60(-)
		शेष बची स्टील की मात्रा	14.955

(ग) उपरोक्त कार्य में मद संख्या 10/11 रीइन्फोरसमैन्ट आफ आर0 सी0 सी0 वर्क हेतु स्टील की कुल खपत 12550.38 किलोग्राम ही बनती थी जबकि संविदाकार को 12562.72 कि0 ग्राम स्टील दर 15/=रूपये प्रति कि0 ग्राम के हिसाब से भुगतान किया गया ।

इस प्रकार संविदाकार को 12.34 कि0ग्रा0 स्टील की मात्रा हेतु कुल 185/=रूपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

(7) चम्बा में डाईट भवन /कम्पलैक्स के निर्माण कार्य में मैसर्ज अजय कुमार ठेकेदार से तारकोल(बिटूमैन) की अधिक खपत हेतु राशि मु0 7492.00रू. की कम वसूली करना ।

चम्बा में डाईट कम्पलैक्स के निर्माण कार्य के दौरान छात्रावास खण्ड की अपरोच/सहायक सड़क को पक्का करने का ठेका एक ही तिथि को दो अलग-2 कार्य आदेश (work orders) (संख्या 2 व 3 वर्ष 1995-96 जारी कर के मैसर्ज अजय कुमार ठेकेदार को दिया गया । सड़क को पक्का करने के लिये तारकोल आवास बोर्ड मण्डल धर्मशाला द्वारा उपलब्ध करवाया जाना था । इस कार्य पर प्रयोग हेतु आवास बोर्ड के भण्डार से इन्डैंट संख्या 8417 व 8418 दिनांक 6.5.1995 को क्रमशः 2.652 एम0टी0 तथा 2.652 एम0टी0 तारकोल निर्गम/जारी किया गया । विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये तारकोल की वसूली दर मु0 4900/=रूपये प्रति एम0टी0 थी ।

उक्त तारकोल की मात्रा की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों में से की गई । कार्य आदेश संख्या 2 वर्ष 1995-96

लगातार पृष्ठ 14 पर...

— 275 —

के एवज में ठेकेदार को किये गये भुगतान के बिल की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इस कार्य की कुल निष्पादित मात्रा के लिये खपत के सही मापदण्डों के अनुसार तारकोल की वास्तविक खपत केवल 1.817 एम0टी0 बनती थी । तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा खपत विवरणी में स्पष्ट किया था कि ठेकेदार द्वारा तारकोल का प्रयोग करते समय 0.835 एम0टी0 खपत अधिक की गई है ।

ठेकेदार से 1.817 एम0टी0 (वास्तविक खपत की मात्रा) तथा 0.835 एम0 टी0 (अधिक खपत की मात्रा) तारकोल की मात्रा की वसूली एक समान वसूली दर मु0 4700/=रुपये प्रति एम0 टी0 की दर से की गई है । जबकि अधिक खपत की मात्रा की वसूली अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुगुनी दर से की जानी अपेक्षित थी ।

कार्य आदेश संख्या: 3 वर्ष 1995-96 के कार्य निष्पादन में भी जारी की गई तारकोल की 2.652 एम0टी0 की मात्रा में से 0.759 एम0 टी0 मात्रा की अधिक खपत की गई थी । अतः वास्तविक खपत तथा मापदण्डों से अधिक खपत की मात्रा की एक समान दरों से वसूली करने का पूर्ण औचित्य दिया जाये अन्यथा सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरतने के फलस्वरूप तारकोल की अधिक खपत की कुल मात्रा की 4700/=रुपये प्रति मिट्रिक टन भाव की बजाय 9400/= रुपये प्रति एम0टी0 की दर से वसूली की जाये तथा इस सम्बन्ध में की गई कम वसूली की राशि मु0 7492.00रुपये (1.594x9400-1594 x4700=7492/=रुपये) की सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जाँच करवाई जाये ।

(10) भण्डारण प्रभार के रूप में मु0 10845.00रुपये की राशि की दोहरी गणना ।

माह जनवरी व फरवरी, 1996 में उपमण्डल चम्बा से पालमपुर, पपरोला, धर्मशाला व देहरा उपमण्डलों के लिये 1974 बोरियां सिमेन्ट का स्थानान्तरण /ढुलान किया गया । सिमेन्ट की इस मात्रा पर चम्बा उपमण्डल (] में प्राप्ति के समय 3% प्रतिशत भण्डारण प्रभार लगा कर निर्गम दर तय की गई थी । जब इस मात्रा को उपमण्डल चम्बा से अन्य स्थानों के लिये स्थानान्तरण किया गया तो प्राप्तकर्ता उपमण्डलों में सिमेन्ट की कुल कीमत पर पुनः 3% प्रतिशत भण्डारण प्रभार सम्मिलित करके निर्गम दरें तय की गई तथा इस प्रकार 1974 बोरी सिमेन्ट पर दो बार 3% की दर से भण्डारण प्रभार लगाया गया । जिन मामलों में 3 प्रतिशत भण्डारण प्रभार की दोहरी गणना की गई पाई गई, का विवरण निम्न प्रकार से है ।

लगातार पृष्ठ 15 पर...

व पृष्ठ तारखा का तारखा की 5% स्टेज एम0एम0एस.
विवरण वास्तविक के रुप में पृष्ठ सं0

- 276 -

क्र0	इन्डैट सं0 व दिनांक	मात्रा	3 प्रतिशत भण्डारण सहित निर्गम दर/ कुल राशि	ढुलाई/उतराई/लदाई आदी व्यय	कुल कीमत	टिप्पणी
1.	8836 19.1.1996	360 बोरी	55,800.00	8,750.00	64550.00	निर्गम दर3% भण्डारण प्रभार जोड़कर तय की गई ।
2.	8716 5.2.1996	160 बोरी	28440.00	4798.00	33238.00	---"----
3.	8747 12.2.96	360 बोरी	56880.00	10280.00	67160.00	---"---
4.	8598 13.2.96	360 बोरी	56880.00	10460.00	67340.00	----"----
5.	8839 19.2.96	354 बोरी	55932.00	7652.00	63584.00	---"--
6.	8842 4.3.1996	360 बोरी	56880.00	8750.00	65630.00	---"---
		जोड़	3,10612.00	50690.00	361502.00	राशि 10,845.00

3% अतिरिक्त भण्डारण प्रभार की राशि =

$$\frac{3,61,502 \times 3}{100} = 10845.00$$

उपरोक्त चूक/त्रुटि को तुरन्त ठीक किया जाये । इस गलत गणना के कारण न केवल भण्डार खाते में लाभ की मात्रा अधिक दिखाई गई है परन्तु उन सब कार्यों जिन पर उक्त सिमेन्ट की मात्रा का उपयोग किया गया है । की कुल लागत में भी अनावश्यक तौर पर अधिक व्यय आंका गया है ।

§11§ सिमेन्ट के ढुलान में मु0 1932.00रुपये के अनुचित भुगतान की वसूली बारे ।

उपमण्डल चम्बा में जी0आर0 संख्या 2356 दिनांक 18.9.1995 द्वारा सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के माध्यम से बरमाणा सिमेन्ट फैक्ट्री से 344 बोरियाँ सिमेन्ट खरीदा गया । सिमेन्ट की ढुलाई ट्रक सं0 -24-2443 व -24-3761 द्वारा की गई तथा इन ट्रक मालिकों को शर्तों के अनुसार बरमाणा से चम्बा तक की दूरी के लिये किराये भाड़े की सारी राशि का भुगतान किया गया । परन्तु जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त 344 बोरियों की आपूर्ति पहले सरु में प्राप्त की गई जो कि चम्बा से पहले पड़ता है तथा तत्पश्चात इस सिमेन्ट का ढुलान चम्बा में स्थित भण्डार में पंहुचाने हेतु दूसरे ट्रकों के माध्यम से करवाया गया । सरु में सिमेन्ट की उतराई व लदाई तथा सरु से चम्बा तक ढुलाई के एवज में 1932.00रुपये का अनुचित भुगतान किया गया । क्योंकि शर्तों के अनुसार बरमाणा से चम्बा तक ढुलाई का

लगातार पृष्ठ 16 पर....

भुगतान उपरोक्त वर्णित दो ट्रक मालिकों को भी किया गया है । तथा अगर सड़क खराब थी तो सरू से चम्बा तक के ढुलान व अन्य उतराई व लदाई की राशि की वसूली ढुलाई करने वाले ट्रक मालिक से करनी आवश्यक थी क्योंकि आवास बोर्ड ने भुगतान के अनुरूप आपूर्ति चम्बा में प्राप्त करनी थी । इस के उपरान्त जी0 आर0 संख्या 2357 से 60 तक प्राप्त किया गया सिमेन्ट भी चम्बा के भण्डार में उतारा गया था

अतः उपमण्डल चम्बा के अधिकारी द्वारा आपूर्ति निर्धारित स्थान पर प्राप्त न करके इसे अन्य स्थान पर प्राप्त करके तथा फिर इसे मुख्य भण्डार में ढुलाई करवाने के लिये जो मु0 1932/=रुपये का अनुचित भुगतान किया गया है , की पुरी जिम्मेदारी तय की जाये तथा अनुचित भुगतान को दोषी अधिकारी/कर्मचारी से तुरन्त वसूल की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

§12§ चम्बा में जे0 एन0 वी0 भवन के निर्माण कार्य में ठेकेदार श्री एल0पी0 डला से लगभग एक लाख रुपये मूल्य के सिमेन्ट की विलम्ब से वसूली करने से ठेकेदार को अनरोप ढंग से लाभ पंहुचाया ।

चम्बा में निर्माणाधीन जे0 एन0 वी0 भवन के निर्माण के लिये स समय-2 पर आवास बोर्ड के भण्डार से सिमेन्ट जारी /निर्गम किया गया /अनुबन्ध की शर्तों एवम् नियमों के अनुसार कार्य निष्पादन के लिये सिमेन्ट की उतनी ही मात्रा जारी /निर्गम की जानी चाहिये थी जितनी जितनी मात्रा की कार्य पर आवश्यकता थी तथा सिमेन्ट की खपत की मात्रा के अनुरूप सिमेन्ट की कीमत की ठेकेदार के चलत बिलों से वसूली करना अनिवार्य था । जांच परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सिमेन्ट की खपत के अनुसार ठेकेदार के चलत बिलों से सिमेन्ट की कीमत की कटौती नहीं की गई तथा वसूली को लम्बित रख कर इसे नवमें चलत बिल में बाद से काटा गया जो कि नियमों के विरुद्ध है । ठेकेदार को जारी/निर्गम किये गये सिमेन्ट तथा वसूली का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्रम सं0	इन्डैंट संख्या व दि0 जिस के द्वारा सिमेन्ट जारी/निर्गम किया गया ।	मात्रा	चलत बिल का विवरण जिस के द्वारा वसूली/ कटौती की गई	मात्रा	शेष मात्रा
1.	7884/1/93	200 बोरी	प्रथम चलत बिल माह 12/93	200 बोरी	----
2.	7894/12/93	300 बोरी	द्वितीय चलत बिल माह 1/94	1415 बोरी	285 बोरी
3.	7897/12/93	500 बोरी			
4.	7898/1/94	500 बोरी			
5.	7889/12/93	200 बोरी			
	7892/12/93	1200 बोरियां			

लगातार पृष्ठ 17 पर...

8452/2/94	1000 बोरी			
8454/2/94	500 बोरी	तृतीय चलत बिल	1385 बोरी	-----
		चतुर्थ चलत बिल माह 3/94	500 बोरी	-----
8459/3/94	500 बोरी			
	500 बोरी	पांचवां चलत बिल माह 7/94	900 बोरी	600 बोरी
	500 बोरी			
	1500 बोरी			
8425/8/94	425 बोरी	छटा चलत बिल माह 9/94	300 बोरी	300 बोरी
8432/9/94	240 बोरी	सांतवा चलत बिल माह 12/94	300 बोरी	765 बोरी
8429/9/94	100 बोरी			
	765 बोरी			
8434/?/95	500 बोरी	आंठवा चलत बिल माह 5/95	500 बोरी	765 बोरी
8645/5/95	120 बोरी			
8450/7/95	150 बोरी			
8447/6/95	150 बोरी			
8449/7/95	60 बोरी	नवंमा चलत बिल	1400 बोरी	20 बोरी
8805/8/95	100 बोरी			
8607/12/95	100 बोरी			
8439/1/95	(-)25 बोरी			
	655 बोरी			

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 5/95 में आंठवे चलत बिल के भुगतान के पश्चात 765 बोरी सिमेन्ट की वसूली शेष थी । इस के पश्चात केवल 655 बोरियां निर्गम/जारी की गईं । परन्तु नवमें चलत बिल में 1400 बोरी सिमेन्ट की वसूली/कटौती की गई है । अतः माह 3/94 से जो लम्बित वसूली शेष थी तथा इस के पश्चात भी वसूली की राशि में निरन्तर वृद्धि होती रही जो बढ़कर माह 11/94 में 765 बोरियां हो गई थी, को समय पर वसूली न करने तथा नवमें चलत बिल में से कि मुश्त वसूली करने का पूर्ण औचित्य दिया जावे क्यों कि 765 बोरियों को 132/=रुपये प्रति बोरी की दर से लगभग एक लाख रुपये की राशि की विलम्ब से वसूली/ कटौती की गई है । जिस के परिणाम स्वरूप आवास बोर्ड को विलम्ब की अवधि के लिये उक्त राशि के प्रयोग से वंचित रहना पड़ा । अतः ठेकेदार से सिमेन्ट की खपत के अनुसार समय-2 पर कटौती न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाये तथा इस गलत प्रक्रिया से आवास बोर्ड को हुई हानि की जिम्मेदारी तय की जाये । भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाये कि आवास बोर्ड भण्डार से जारी/निर्गम की जाने वाली सामग्री की उपयुक्त समय पर कटौती /वसूली की जाये ।

लगातार पृष्ठ 18 पर...

§13§ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल धर्मशाला से 100 बोरी सिमेन्ट के मूल्य राशि 14,960.00रुपये की वसूली न करना ।

इन्डैंट संख्या 3313 दिनांक 12.12.95 द्वारा बिल कार्ड संख्या 139 अनुसार अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश निर्माण विभाग, मण्डल धर्मशाला को 100 बोरियां सिमेन्ट दी गई । अंकेक्षण की अवधि तक न तो 100 बोरी सिमेन्ट अधिशाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मण्डल, धर्मशाला से वापिस लिया गया तथा न ही 100 बोरी सिमेन्ट की कीमत राशि 14,960.00रुपये की वसूली की गई । अतः या तो उक्त विभाग से 100 बोरी सिमेन्ट को वापिस लिया जाये या इस की कीमत की वसूली की जाये तथा अनुपालना की अगले अंकेक्षण के दौरान जांच करवाई जाये ।

§14§ भण्डार से निर्गम/जारी की गई विभिन्न मदों के लेखांकन बारे ।

भण्डार खातों की जांच पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि धर्मशाला स्थित भण्डार खातों में से निर्गम/जारी की गई निम्न भवन सामग्री का विभिन्न मदों को लेखा पुस्तकों एवम् अन्य सम्बन्धित [illegible] खातों में दर्ज नहीं किया गया था जिस के परिणाम स्वरूप इन मदों के अन्तिम उपयोग एवम् तदानुसार किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी । अतः भविष्य में भण्डार से निर्गम/जारी की जाने वाली मदों का सम्पूर्ण हिसाब-किताब रखा जाये तथा प्रत्येक मद का सही लेखांकन सुनिश्चित किया जाये । जांच परीक्षण के दौरान पाये गये निम्न मामलों में यह बताया जाये कि इन मदों का किन कार्यों पर प्रयोग किया गया था तथा इन मदों की वसूली क्या की गई ।

क्र०सं०	इन्डैंट संख्या व दिनांक	निर्गम की गई मात्रा व किस्म
1.	इन्डैंट सं० 8659 दि० 22.5.1995 §धर्मशाला उपमण्डल§	5 बोरी सिमेन्ट
2.	8672/22.8.95	§1§ स्टील 16 एम०एम०=41 कि०ग्रा० §2§ " 8 " " = 13 किलोग्राम §3§सी०जी० आई० शीट्स0.63 एम०एम० 1.65 क्विंटल टिप्पणी :- उपरोक्त स्टील व सी०जी०आई० शीट्स एम०ए० स्लि० में भी दर्ज की गई थीं है परन्तु एम०ए०एस० रजिस्टर में उक्त मदों का इन्द्राज नहीं पाया गया ।
3.	8673/28.8.95	66 बोरी सिमेन्ट ।

लगातार पृष्ठ 19 पर......

(5) सिमेन्ट की उतराई के रूप में किया गया अनुचित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर तुरन्त उपयोग हेतु क्रय किया गया । अन्य कार्य स्थलों से लाया गया सिमेन्ट या तो खरीद/प्राप्ति के ही दिन या दूसरे दिन ठेकेदारों को निर्गम/जारी कर दिया गया था । रिकार्ड के अनुसार सिमेन्ट की इस मात्रा को पहले विभाग के भण्डार में उतारा गया दिखाया गया तथा फिर इस सिमेन्ट को ठेकेदारों को निर्गम किया गया था जो कि ठीक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब सिमेन्ट की इन कार्यों पर अतिआवश्यकता थी तो स्थानीय बाजार एवं अन्य कार्यों पर अन्यत्र से लाए गए सिमेन्ट को पहले विभागीय भण्डार में उतार कर फिर वहां से सिमेन्ट की लदाई करके कार्य स्थल तक ले जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है । अतः ऐसा अनुमान है कि यह सारा सिमेन्ट निर्माण कार्य स्थलों पर ही उतारा गया है तथा विभाग के स्टोर स्थल पर उतराई के रूप में दर्शाया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः निम्नलिखित सिमेन्ट की विभाग के स्टोर में उतराई के रूप में किए गए व्यय का पूर्ण औचित्य दिया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गए व्यय की निम्नलिखित राशियों की दोषियों से शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :-

क्र०सं०	सिमेन्ट की प्राप्ति की जी०आर०सं०	सिमेन्ट जारी करने की बिन कार्ड सं० तथा दि०	जारी किए गए सिमेन्ट की मात्रा	विभागीय स्टोर में उतराई के रूप में किया गया व्यय
	पपरोला सैक्शन			
1.	2297 दिनांक 23.5.95	8588 दिनांक 23.5.95	200 बोरी	300.00रुपये
2.	2298 दिनांक 30.5.95	8534 दिनांक 1.6.95	540 बोरी	810.00रुपये
3.	2299 दिनांक 7.6.95	8589 दिनांक 8.6.95	540 बोरी	810.00रुपये
4.	---यथोपरि------	8590 दिनांक 8.6.95	360 बोरी	540.00रुपये
5.	2377 दिनांक 16.10.95	8539 दिनांक 18.10.95	200 बोरी	300.00रुपये
6.	2383 दिनांक 8.12.95	8595 दिनांक 8.12.95	180 बोरी	270.00रुपये
7.	2387 दिनांक 1.2.96	8597 दिनांक 2.2.96	360 बोरी	540.00रुपये
	पालमपुर उपमण्डल			
8.	2313 दिनांक 5.5.95	8573 दिनांक 5.5.95	180 बोरी	270.00रुपये
9.	2314 दिनांक 16.5.95	8347 दिनांक 16.5.95	180 बोरी	270.00रुपये
10.	2335 दिनांक 25.9.95	8756 दिनांक 25.9.95	100 बोरी	270.00रुपये
11.	--- यथोपरि--- -	8735 दिनांक 26.9.95	80 बोरी	
12.	2401 दिनांक 11.10.95	8736 दिनांक 12.10.95	180 बोरी	270.00रुपये
13.	----- यथोपरि------	8759 दिनांक --- --		
14.	2403 दिनांक 3.11.95	8761 दिनांक 4.11.95	360 बोरी	540.00रुपये
15.	2408 दिनांक 2.2.96	8768 दिनांक 2.2.96	160 बोरी	270.00रुपये
16.	-----यथोपरि---	8746 दिनांक 2.2.96	20 बोरी	

लगातार पृष्ठ 20 पर...

17.	2409 दिनांक 12.12.96	8769 दिनांक 12.12.96	180 बोरी	540.00रुपये
18.	---यथोपरि------	8748 दिनांक 12.12.96	180 बोरी	
19.	2411 दिनांक 19.2.96	8770 दिनांक 19.2.96	180 बोरी	270.00रुपये
20.	2414 दिनांक 22.3.96	8749 दिनांक 22.3.96	100 बोरी	270.00रुपये
21.	-----यथोपरि-----	8750 दिनांक 22.3.96	80 बोरी	
22.	2415 दिनांक 30.3.96	8902 दिनांक 30.3.96	180 बोरी	270.00रुपये
23.	2416 दिनांक 31.3.96	8878 दिनांक 31.3.98	100 बोरी	270.00रुपये
24.	------यथोपरि-----	8879 दिनांक 31.3.96	80 बोरी	
25.	2417 दिनांक 31.3.96	8903 दिनांक 31.3.96	180 बोरी	270.00रुपये
			कुल जोड़	7350.00रुपये

(16) निम्नलिखित स्टोर इन्डैन्टों की छानबीन करने पर पाया गया कि वित्तिय वर्ष 1995-96 के अन्त में भारी मात्रा में सामान स्टोर से जारी करके विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यह निर्माण कार्य विभिन्न संविदाकारों द्वारा करवाए जा रहे थे तथा सम्बन्धित संविदाकारों द्वारा इस सामान के के कार्य पर उपयोग हेतु जारी करने बारे कोई इन्डैन्ट भी जारी नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि इस सामान को सम्बन्धित निर्माण कार्यों को जारी करने बारे सक्षम अधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई तथा यह सामान कई महीनों उपरान्त निर्माण कार्य पर उपयोग हेतु दोबारा संविदाकारों को जारी किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि वित्तिय वर्ष के अन्त में इन निर्माण कार्यों पर व्यय बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने के उद्देश्य से ही इस सामान को विभिन्न निर्माण कार्यों को जारी किया गया लगता है। यह अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आगामी कार्यवाही हेतु लाई जाती है। अनियमित रूप से जारी किए गए निम्नलिखित सामान के उपयोग से सम्बन्धित विवरण भी आगामी लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाए।

इन्डैंट सं0	दिनांक	जारी किए गए सामान का विवरण	जारी किए गए सामान की कीमत
		(क) पपरौला सैक्शन	
8600	20.3.96	स्टील 31.085 मी0 टन सिमेन्ट 380 बोरी	5,65,418.25रु.
8976	31.3.96	जी0सी0आई0शीट्स 9.010 मी. टन	256740.00रु.
		(ख) पालमपुर उपमण्डल	
8876	30.3.96	दरवाजे, खिड़कियां तथा विविध सामान	356259.06रु.
8877	30.3.96	-------यथोपरि------	167954.44रु.
8773	30.3.96	-------यथोपरि--------	85909.10रु.
8901	30.3.96	-------यथोपरि-------	135276.80रु.

लगातार पृष्ठ 21 पर....

282 -

§ 17§ **स्टील/सरिया की अनुचित खपत की वसूली करने बारे :-**

पालमपुर उपमण्डल के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन का ठेका विभिन्न संविदाकारों को दिया गया था । इन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु सम्बन्धित संविदाकारों से किए गए अनुबन्धों के अनुसार इन निर्माण कार्यों पर प्रयोग होने वाली स्टील की मद का कार्य लेवर रेट पर किया जाना था जिसके फलस्वरूप ठेकेदारों को विभाग द्वारा न तो कोई स्टील दी गई तथा न ही इन ठेकेदारों से स्टील की कोई वसूली की गई । स्टील/सरिया का लेबर रेट होने के कारण स्टील के नियन्त्रण एवं खपत का पूरा हिसाब किताब विभाग द्वारा अपने स्तर पर रखा गया ।

पालमपुर उप मण्डल में निर्माणाधीन इन निर्माण कार्यों हेतु स्टील स्टील की खपत की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन कार्यों पर कुल वास्तविक खपत में 5 प्रतिशत स्टील की मात्रा वेस्टेज के रूप में अलग से जोड़ी गई है तथा भण्डार/एम०ए०एस० के खातों से स्टील की अन्तिम खपत, अलग से जोड़ी गई 5 प्रतिशत वेस्टेज की मात्रा को जोड़ कर की गई है । इस प्रकार स्टील की 100 कि० ग्राम वास्तविक खपत के लिए 105 कि० ग्रा० स्टील भण्डार खातों से जारी की गई दर्शाई गई है ।

स्टील/सरिया के खपत विश्लेषण अनुसार भी 100 कि० ग्रा० सरिया की खपत के लिए 5 प्रतिशत की दर से वेस्टेज के लिए प्रावधान है । सरिया क्योंकि अविनाशवान§ §
मद है । अतः स्टील के वास्तविक प्रयोग के समय 5 प्रतिशत वेस्टेज के बराबर जो सरिए के टुकड़े स्क्रैप के रूप में बच जाते हैं, को भण्डार खातों में दर्ज करना अनिवार्य है । Non-Perishable

उप मण्डल के कर्मचारियों द्वारा अपनाई गई वर्तमान प्रणाली अनुसार उक्त 5% सरिए की मात्रा को न तो निर्माण कार्यों पर प्रयोग किया गया और न ही स्क्रैप के रूप में इसका हिसाब किताब रखा जा रहा है ।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसी मण्डल के अन्य उप-मण्डलों में जैसे कि सिहवाड़ी§धर्मशाला§ में शिक्षा बोर्ड के लिए बनाए जा रहे भवनों के निर्माण हेतु सरिया का थ्रू§ Through § रेट था, सरिया की खपत पर 5 % वेस्टेज का दावा नहीं किया गया था । अतः एक ही मण्डल में सरिया की खपत के लिए दो अलग-तरीके अपनाने बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए तथा पालमपुर उपमण्डल द्वारा वास्तव में खपत से 5% अधिक खपत दिखाना एक बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि इस गलत तरीके/ढंग से सरिया के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । सरिया की वेस्टेज का विवरण निम्न दिया जाता है :-

लगातार पृष्ठ 22 पर.. ..

 — 283 -

क्र०	कार्य का नाम	माप पुस्तिका सं० व पृष्ठ	मास	सरिया का विवरण	सरिया का वास्तविक प्रयुत विवरण सहित कि०ग्रा०	5% वेस्टेज के रूप में दर्शाई गई सरिया की मात्रा कि०ग्रा०	एम०एस०एस. पृष्ठ सं०
1.	18 अदद केटेगरी-1 भवन विन्द्रावन	702/94पृष्ठ 96	5/95	12 एमएम	180	8.75	53
				8 एम.एम.	1720	82.00	53
2.	--यथोपरि--	770/95पृष्ठ 4	6/95	8 एम.एम.	291	15.23	53
3.	---यथोपरि--	770/95पृष्ठ 45	7/95	8 एम.एम.	370	17.60	54
4.	---यथोपरि--	770/95पृष्ठ 79	8/95	8 एम.एम.	230	11.00	54
5.	32 अदद केटेगरी-3 भवन विन्द्रावन	704/94पृष्ठ 77 (प्रस्तुत नहीं की गई)	5/95	12एम.एम.	950	50.00	63
				8 एम.एम.	2631	125.00	63
6.	---यथोपरि---	704/94पृष्ठ 96 (प्रस्तुत नहीं की गई)	6/95	8 एम.एम.	2780	130.00	63
				12 एम.एम.	1560	75.00	63
7.	---यथोपरि----	771/95पृष्ठ 20	7/95	8 एम.एम.	1212	57.70	63
				12एम.एम.	32	1.55	63
8.	--- यथोपरि---	771/95पृष्ठ 65	10/95	8 एम.एम.	1772	84.40	63
				12एम.एम.	48	2.32	63
9.	-----यथोपरि---	771/95पृष्ठ 99	11/95	8 एम.एम.	1760	83.78	63
				12एम.एम.	50	2.42	63
10.	----यथोपरि---	795/95पृष्ठ 33 (प्रस्तुत नहीं की गई)	2/96	8 एम.एम.	470	23.00	64
				12एम.एम.	195	9.00	64
11.	--- यथोपरि---	795/95पृष्ठ 51 (प्रस्तुत नहीं की गई)	3/96	8 एम.एम.	585	30.00	64
				12 एम.एम.	183	9.00	64
12.	21 अदद केटेगरी-2 भवन पालमपुर	731/94पृष्ठ 56	5/95	8 एम.एम.	650	30.97	2
				12एम.एम.	1360	64.90	2
13.	--- यथोपरि----	731/94पृष्ठ 59 व 60	7/95	8 एम.एम.	115	5.68	3
				12एम.एम.	236	11.22	3
14.	---यथोपरि---	731/94पृष्ठ 64	7/95	8 एम.एम.	488	23.46	3
				12एम.एम.	985	47.60	3
15.	--- यथोपरि--	772 पृष्ठ 15,21 25,28,31.	11/95	8 एम.एम.	4732	41.00	3
				12एम.एम.	322	2.88	3
16.	----यथोपरि--	772पृष्ठ 42	2/95	8 एम.एम.	1696	80.36	3
				12एम.एम.	495	23.80	3

लगातार पृष्ठ 23 पर....

— 284 -

(18) सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही सरिए/स्टील को ओवर वेट दर्शाकर कुल 1.770मी. टन अधिक खपत निकाल कर 28,430/=रूपये का अपव्यय/हानि:-

जी. आर. संख्या: 2320 दिनांक 7.7.95 द्वारा 9.035 मी. टन 8 एम.एम. साईज का सरिया मै. सूद स्टील इन्डस्ट्री कन्दरोड़ी से क्रय किया गया । यह सरिया स्वत: वित्तिय योजना के अधीन विन्द्रावन(पालमपुर) में निर्मित किए जा रहे 21 अदद मकानों पर उपयोग किया गया । सरिए का कार्य श्री अवनी कुमार ठेकेदार द्वारा लेवर रेट पर करवाया जा रहा था ।

सहायक अभियन्ता के पत्र संख्या एच0वी0 /ए.ई/पी/एस-1/95 -1144 दिनांक 26.12.95 द्वारा अधिशासी अभियन्ता धर्मशाला को सूचित किया गया कि उपरोक्त जी. आर. द्वारा प्राप्त किया गया सरिया मानक भार(Standard weight) का नहीं था क्योंकि इसका भार निर्धारित 0.39 कि.ग्राम प्रति मी. की दर से न होकर 0.485 कि.ग्राम प्रति मीटर था । उपरोक्त पत्र के उत्तर में अधिशासी अभियन्ता द्वारा सहायक अभियन्ता को निर्देश दिया गया कि उपरोक्त सरिया की खपत का विवरण अलग से रखा जाए तथा इसकी खपत हेतु 0.39 कि.ग्राम प्रति मीटर की बजाए 0.385 कि.ग्रा. प्रति मीटर का फैक्टर लगाया जाए ! इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए गए कि सरिए की छड़ों (bars) में अन्तर भी भार के अनुसार बढ़ा दिया जाए ।

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि उक्त प्राप्त किए गए सरिए के अधिक भारी होने बारे मण्डलीय अधिशाषी अभियन्ता द्वारा न तो कोई प्रत्यक्ष सत्यापन ही किया गया और न ही यह तथ्य उच्चाधिकारियों के शीघ्र ध्यान में लाकर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया कि यह सरिया वाकया ही ओवर वेट था । यह प्रमाण पत्र सरिये की प्राप्ति के समय प्राप्त किया जाना वांछित था ।

इसके अतिरिक्त ठेकेदार को सरिए के निर्माण कार्य से सम्बन्धित किए गए कार्य की मात्रा की लागत का लेवर रेट पर भुगतान करते समय रनिंग मीटरों में की गई पैमाइश को कि.ग्रा. में बदलते समय भी निर्धारित 0.39 कि.ग्रा. प्रति मीटर का ही फैक्टर लगाया गया ।

उपरोक्त विवरण से विदित है कि सरिए के ओवर वेट होने बारे सक्षम अधिकारी से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही एम.ए.एस. रजिस्टर पर सरिए की खपत निर्धारित 0.39 कि.ग्रा. प्रति मीटर की दर से दिखाए जाने की बजाए 0.485 कि.ग्रा.प्रति रनिंग मीटर दर्शाई गई तथा सरिए के ओवर वेट होने के कारण स्टील की छड़ियों के बीच अन्तर को बढ़ाए जाने बारे भी कोई अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा सम्बन्धित कोई फर्म से भी इस सन्दर्भ में कोई पत्राचार नहीं किया गया । अत: सहायक अभियन्ता

लगातार पृष्ठ 24 पर...

द्वारा निम्न दिया गया :-

दिनांक 17.7.1993 द्वारा 34,57,665.85 (88.36% रूपए)

2,84,332.40 (273.44% ")...

द्वारा सरिया के ओवर वेट दर्शाए जाने वाले तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है ।

यह मामला शीघ्र उच्चाधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है । इस सन्दर्भ में तथ्यों की छानबीन करके जांच के परिणामों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए अन्यथा सरिए की खपत हेतु गलत फैक्टर लगाकर अधिक खपत दर्शाकर आवास बोर्ड को निम्न विवरणानुसार हुई 28,430/=रुपये की हानि की राशि की दोषी से शीघ्र वसूली की जाए ।

प्राप्त किया गया कुल सरिया	=9.035मी. टन 8 एम.एम.
निर्धारित 0.39 कि.ग्रा. प्रति मी. फैक्टर लगाने पर खपत होनी चाहिए थी	=23167 मीटर
ओवर वेट दर्शाकर खपत हेतु 0.485कि.ग्रा. प्रति मीटर फैक्टर लगाने पर खपत दर्शाई गई	=18629 मीटर
कम खपत दर्शाई गई	= 4538 मीटर अर्थात 1770 कि.ग्रा.
सरिए की जारी दर से कुल कीमत	= 1.770×16,062/=रुपये प्रति मी. टन
	= 28430/=रुपये

(19) <u>कार्य का नाम</u> :- स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की आवासिय कलौनी सिहवाड़ी -18 नं0 श्रेणी -III के मकानों का निर्माण, आन्तरिक जल सपलाई व सैनीटेशन इन्स्टालेशन सहित:-

<u>कार्य अनुबन्ध संख्या</u>:- 6 वर्ष 1995-96

संविदाकार का नाम   श्री डी.डी. जैन

संविदाकार श्री डी.डी. जैन को कार्य आवासिय कलौनी सिहवाड़ी (18 नं0 श्रेणी-III के मकानों का निर्माण आन्तरिक जल आपूर्ति एवं सैनेटरी इन्स्टालेशन) के चौथे चलित बिल के दौरान किए गए कार्य के लिए किया गया । इस कार्य के प्रथम चलित बिल से लेकर चौथे चलित बिल तक का विस्तृत अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :- वाउचर सं0 159 माह 3/96 राशि 78678.00रुपये का भुगतान

(क) बिल मद सं0 4/(ख)(एच)(हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की सं0 9.31 द्वारा वर्णित कार्य) की मात्रा 70.93 घन मी. का भुगतान ठेकेदार को 1600/=रुपये प्रति घन मी. की दर से किया गया । मात्रा में निम्न विवरणानुसार 44.21 घन मी. मात्रा कालम के पोरशन से सम्बन्धित थी ।

मापन पुस्तिका सं0	पेज	मात्रा
786/95	31	16.17 घन मी.
786/95	5	28.04 " "
	योग	44.21 घन मी.

लगातार पृष्ठ 25 पर...

... दिया गया :-
... 17.7.1993 द्वारा ... 34,57,665.85 (80.36% उपर)
... (273.44% ")
... 36 पर...

286

उपरोक्त कार्य मात्रा की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि कालम के टेपर्ड पोरशन से सम्बन्धित सीमेन्ट कन्क्रीट की मात्रा ज्ञात करने के लिए सूत्र $H/3 (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2})$ का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था । उपरोक्त सूत्र के प्रयोग न करने से संविदाकार को निम्न विवरणानुसार उपरोक्त मद की कार्य मात्रा 8.73 घन मी. दर 1600/=रुपये प्रतिघन मी. राशि 13968.00रुपये का अधिक भुगतान किया गया :-

(1) मापन पुस्तक सं0 786/95 पेज 5

कालमों की सं0	A_1 Base Area m^2	A_2 Top Area m^2	H mt	देय मात्रा m^3	दत्त मात्रा m^3
7	5.06	.16	.55	7.84	10.04
6	4.62	.16	.50	5.64	7.17
8	3.80	.16	.40	5.05	6.33
8	3.06	.16	.40	4.18	4.50
				22.71	28.04

(2) मापन पुस्तक 786/95 पेज 3 ।

कालमों की सं0	A_1 Base Area m^2	A_2 Top Area m^2	H mt	देय मात्रा m^3	दत्त मात्रा m^3
5	5.06	.16	.55	5.60	7.17
3	4.62	.16	.50	2.82	3.58
4	3.80	.16	.40	2.52	3.17
4.	3.06	.16	.35	1.83	2.25
				12.77	16.17

(1)+(2)	देय मात्रा m^3	दत्त मात्रा m^3	अन्तर m^3
	35.48	44.21	8.73

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान की गई राशि 13968/=रुपये की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(3) निर्माण मद सं0 7/14 (मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 11.7(d) द्वारा अंकित कार्य की मात्रा 01.15 घन मी. का भुगतान संविदाकार को 850/=रुपये प्रति घन मी. की दर से किया गया । विभाग द्वारा संविदाकार को उपरोक्त कार्य मात्रा के लिए उप उपरोक्त कार्य में खुदाई से प्राप्त सामग्री ऐवल पत्थर मात्रा 99 घन मी जारी किया गया । इन पत्थरों की वसूली 80 रुपये प्रतिघन मी.

लगातार पृष्ठ 26 पर....

287 -

की दर से की गई जब कि कार्य अनुबन्ध की जनरल स्पेशीफिकेशन व कन्डीशन नं0 38 के अनुसार खुदाई के दौरान प्राप्त पत्थरों को HP PWD Schedule Rate + Premium quoted by contractor की दर से संविदा कार को जारी करने का प्रावधान था । इस शर्त के अनुसार संविदाकार को जारी सर्विस ऐवल पत्थरों की वसूली दर निम्न प्रकार निश्चित होनी चाहिए थी

(1) हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 2.29 (क) की दर = 64.00रुपये
15% ठेकेदार का लाभ व ओवर हैड चार्जिज 9.60रुपये

73=60रुपये

(2) ठेकेदार का प्रिमियम
SR massonry in F&P in cm 1:6 पर आधारित

$$\frac{833-417.05}{417.05} \times 100 = 99.73\%$$ 73.40रुपये

अतः वसूली दर (1) + (2) =73.60+ 73.40=147.00रुपये

इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 11.7( ) की दर 417.05 रुपये की विस्तृत विश्लेषण (Analysis) की जांच करने पर पाया गया कि उपरोक्त मद की दर ज्ञात करते समय Block stones undressed ( ) की दर 64/-रुपये प्रति घन मी. लगाई गई थी । अतः संविदाकार से विभाग द्वारा जारी सर्विस ऐवल स्टोनस की मात्रा 99 घन मी. की वसूली 147.00रुपये प्रति घन मी. की दर से करनी वांछित थी । लेकिन मण्डल द्वारा पत्थरों की वसूली 88रुपये प्रति घन मी. की दर से की गई जो कि वास्तविक वसूली दर से 59रुपये प्रति घन मी. कम थी अतः संविदाकार से कम वसूल की गई राशि 5841.00रुपये (99 घन मी. x59 रुपये प्रतिघन मी.) की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) बिल मद संख्या 5/10 हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 9.41 (बी) द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 31532 किलो ग्राम का भुगतान दर 16.00रुपये प्रति किलो ग्राम से किया गया । इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न व्यास के स्टील को मीटरों से किलोग्राम में बदलते समय मानक कनवरसन फैक्टरों का प्रयोग नहीं किया गया जिससे संविदाकार को कार्य मात्रा 1161.39 किलोग्राम दर 16.00 रुपये प्रति किलो ग्राम से राशि 18582.24रुपये का अधिक भुगतान किया गया । अधिक भुगतान की गई मात्रा का विवरण निम्न प्रकार था ।

लगातार पृष्ठ 27 पर...

- 288 -

माप पुंस्तिका संख्या	पेज नं0	स्टील सरिए का व्यास	की लंबमी0	लगाया गया फैक्टर	मानक फैक्टर	देय मात्रा किलो	दत मात्रा किलो	अन्तर किलो
707/95	10, 18, 22	8एम.एम.	8761.31	.49	.39	3416.91	4293.04	876.13
-"-	22,38,43, 45,47.	-"-	13358.76	.395	.39	5209.96	5276.71	66.80
-"-	10,18,22	10एम.एम.	3134.15	.68	.62	1943.17	2131.22	188.05
-"-	10,18,22,38 43,45,47.	22एम.एम.	1525.31	3.00	2.98	4545.52	4575.93	30.41
					योग			1161.39

अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए ।

"घ" बिल मद सं0 10/6 हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची दर 1987 की मद सं0 9.27 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 12.12 वर्ग मीटर का भुगतान 100 रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से संविदाकार को किया गया इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि मात्रा के मापन के दौरान इस मात्रा में से दरवाजों की मात्रा की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण उपरोक्त कार्य मात्रा में 4.65 वर्ग मी. की मात्रा का अधिक भुगतान किया गया । इस अधिक भुगतान की गई मात्रा का विवरण निम्न प्रकार था :-

6 नं0 मकानों के लिए मात्रा

डी0 6×3'-0" ×0-6" =9.00 वर्ग फुट
डी1 2 × 2'-9" ×0-6" =2.75 "
डी2 4×2'-6" ×0-6" =5.00 "

16.75 फुट या 1.55 वर्ग मी.

अतः 18 नं. मकानों के लिए मात्रा =1.55×3=4.65 वर्गमी.
इसलिए संविदाकार को राशि 465.00रुपये (4.65 वर्गमी.)×100=00 रुपये प्रति वर्ग मी.) का अधिक भुगतान किया गया । इसी प्रकार बिल मद सं0 11/7 हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 9.30 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 12.12 वर्ग मी. का भुगतान 50.00रुपये प्रति वर्ग मी. की दर से संविदाकार को किया गया । इस कार्य मात्रा में उपरोक्त वर्णित कार्य मात्रा 4.65 वर्ग मी. की कटौती नहीं की गई । इस प्रकार संविदाकार को उपरोक्त मात्रा के भुगतान में 4.65 वर्ग मी. की मात्रा दर 50/-रुपये प्रति वर्ग मी. राशि 232.50रुपये का अधिक भुगतान किया गया । अतः यह अधिक भुगतान की गई राशि 697.50रुपये की वसूली ठेकेदार से शीघ्र की जाए ।

(ड.) कार्य के चौथे चलित बिल तक सीमेन्ट की 1793 बोरियों की खपत की जा चुकी थी । कार्य अनुबन्ध की क्लाज 42(1)(i) के अनुसार प्रत्येक चलित बिल के साथ आधिकृत खाली सीमेन्ट बैग कोटिंग

लगातार पृष्ठ 28 पर...

द्वारा निम्न दिया गया :-

दिनांक 17.7.1993
1) सीमित कार्य 34,57,665.85 (88.36% ऊपर)
2) ... 2,04,232.40 (273.44% ")

लगातार पृष्ठ 36 पर....

— 289 —

अभिकर्ता द्वारा प्राप्त वाली बोरियों की मात्रा का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए था । प्रथम चलित बिल से चौथे चलित बिल तक किसी भी बिल के साथ उपरोक्त वांछित प्रमाण संलग्न नहीं था । अत: उपरोक्त नियम के तहत संविदाकार से राशि 1613.70रुपये § 1793 ×90% ×1रुपये प्रति बोरी§ की वसूली की जानी वांछित थी । अत: राशि 1613.70रुपये की वसूली उचित माध्यम से शीघ्र की जाए ।

§20§ आंशिक स्वय वित्त योजना विन्दरावन पालमपुर में 25 नं0 श्रेणी-II के मकानों का निर्माण § आन्तरिक जल आपूर्ति और सैनेटरी इन्स्टालेशन सहित §

कार्य अनुबन्ध सं0 4 वर्ष 1995-96 संविदाकार का नाम श्री डी.डी. जैन .

उपरोक्त कार्य संविदाकार श्री डी.डी.जैन को निमा निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं0 डी.डी.§एच.वी-डब्लू-7/94-2525-31 दिनांक 28.7.95 द्वारा सिविल कार्य राशि 3909197.31रुपये §2% छूट के बाद§ जो कि हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 से 113.12% उपर, कार्य आन्तरिक जल आपूर्ति और सैनेटरी इन्स्टालेशन राशि 231754.08रुपये §2% छूट के बाद§ जो कि हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची खण्ड-II 1993 से 66.25% उपर आंवटित किया गया । इस कार्य के प्रथम चलित बिल से छठे चलित बिल तक का अंकेक्षण करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई ।

"क" ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए प्रस्तुत निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी की जांच करने पर पाया गया कि श्री डी.डी. जैन द्वारा भरी गई सिविल कार्य की दरों व DNIT में दी गई कार्य मात्रा के आधार पर टैन्डर्ड राशि 3938976.85रुपये व 2% छूट के बाद 38,60,197.31 रुपये बनती थी जो कि हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 से 110.44% उपर थी । अत: उपरोक्त कार्य में सिविल कार्य राशि 38,60,197.31रुपये पर आवंटित किया जाना वांछित था । लेकिन इस मण्डल द्वारा संविदाकार को सिविल कार्य 39,09,197.31रुपये पर आवंटित किया गया । अत: वास्तविक राशि से अधिक राशि पर कार्य आवंटन का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए । अगर इस गलत आवंटन के कारण संविदाकार को किसी अवस्था में अधिक भुगतान किया गया हो तो मण्डल अपने स्तर पर अधिक भुगतान xxxxxxxxx की गई राशि की गणना के उपरान्त वसूली करना सुनिश्चित की जाए । कार्य आवंटन पत्र में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय दिखाई जाए ।

"ख" प्रथम चलित बिल मद सं0 14/3§हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 का मद सं0 7 §बी-I-ए§§ द्वारा वर्णित§ कार्य की मात्रा 225.60घन मी. की दर 2 से किया गया । लेकिन उपरोक्त अतिरिक्त अतिरिक्त मद की दर का निर्धारण निम्नअनुसार होना चाहिए था ।

लगातार पृष्ठ 29 पर...

द्वारा निम्न दिया गया :-
दिनांक 17.7.1993 34,57,665.85 §88.36% उपर§
2,12,232.40 §273.44% "§
पृष्ठ 30 पर...

 — 290 —

हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं.	मानक दर	संविदाकार की दर
7.4 (b+c+d+e / 4)	41.64 रुपये	65.00 −2% छूट

% similar class = (63.70 − 41.64) / 41.64 × 100 = 52.97%

अत: अतिरिक्त मद की दर
मद सं0 7.1 (b+c / 2) की मानक दर = 14.30 रुपये
% similar class का प्रिमियम 52.97% 7.57 रुपये
21.87 रुपये

अत: संविदाकार को उपरोक्त कार्य मद की मात्रा 225.60 घन मी का भुगतान 41.18 रुपये प्रति घन मी. की दर की जगह पर 21.87 रु. प्रति घन मी. की दर से होना चाहिए था । इसलिए संविदाकार को राशि 4356.33 रुपये का अधिक भुगतान किया गया । अत: इस अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र की जाए ।

"ग" छठे चलित बिल की मद सं0 1/1 (मापन पुस्तिका सं0 693/94 पेज 58) की मात्रा 1269.87 घन मी. का भुगतान 65.00 रुपये घन मी. की दर से किया गया । मापन पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मद में मिट्टी का वर्गीकरण (पिक, जम्पर, ब्लास्टिंग (नरम व सख्त), चिजलिंग /वेजिंग आदि (नरम व सख्त पत्थर) में किया गया था । इस वर्गीकरण के आधार पर कुल कार्य मात्रा का 50% भाग के बराबर का कार्य ब्लास्टिंग व चिजलिंग से सम्बन्धित था जिसकी मात्रा 634.93 घनमी. (1269.87 घन मी. x50%) बनती थी । अत: इस मात्रा के 70% के बराबर (634.93 x70% =444.45 घन मी.) पत्थर विभाग को उपरोक्त कार्य से प्राप्त होने अनुमानित थे । लेकिन मापन पुस्तिका के अनुसार उपरोक्त मद की कार्य मात्रा से कोई भी पत्थर उपलब्ध नहीं हुआ । अत: इससे स्वत: ही प्रतीत होता है कि उपरोक्त मद में मिट्टी का वर्गीकरण उचित ढंग से नहीं कियागया था । वास्तव में कार्य स्थल पर यह मद पिक जम्पर में ही करवाई गई लगती है थी जो कि कार्य अनुबन्ध की मद सं0 1 के अनुरूप नहीं थी । अत: इस मद की कार्य मात्रा का भुगतान निम्न substituted item Rate के अनुसार होना था :-

हि.प्र. मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0	मानक दर	संविदाकार की दर
7.4 (b+c+d+e / 4)	41.64	65.00 (− 2% छूट) =63.70 रु.

Similar class के कार्य का प्रिमियम = (63.70 − 41.64) / 41.64 × 100 = 52.97%

लगातार पृष्ठ 30 पर....

दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न किया गया :-
1) सीमित कार्य 39,57,665.85 (68.36% उपर)
2,34,332.40 (273.44% ")
लगातार पृष्ठ 36 पर....

-291-

मद सं० 704 (btc/2) का मानक दर = 22.12रुपये

↑ Similar class का प्रिमियम 52.97% 11.71रुपये

योग = 33.83रुपये

===========

अतः संविदाकार को उपरोक्त कार्य मद का भुगतान स्थल पर वास्तव में मिट्टी के वर्गीकरण पिक जम्पर के आधार पर तैयार Substituted item rates 33.83रुपये प्रति घन मी. की दर से होना चाहिए था । इस दर से संविदाकार को राशि 42959.70रुपये का भुगतान होना चाहिए था । लेकिन संविदाकार को राशि 82541.55 रुपये का भुगतान किया गया । अतः असल में किए गए कार्य का प्रत्यक्ष सत्यापन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी प्राप्त होने वाले 444.45घन मी. पत्थर का आगामी निपटारा अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अथवा संविदाकार को अनियमित रूप से भुगतान की गई 39581.05रुपये की राशि की शीघ्र वसूली की जाए ।

"घ"
===

खिड़कियों की चौखटों के अधिक सैक्शन की वजह से अधिक भुगतान

मद सं० 11/2 (छत चलित विला) हि० प्र० मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं० 12.1 द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 11.64 घन मी. का भुगतान संविदाकार को 13000/=रुपये प्रतिघन मी. की दर से किया गया इस कार्य मद की रिकार्ड प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों का कार्य 12.5 सैं० मी० व 6.25 सै. मी. के क्रास सैक्शन में करवाया गया था जबकि उपरोक्त कार्य c/o 25 Nos श्रेणी II के मकानों की ड्राईंग (नं० 96; 108, जाव नं० 5) जो मुख्य अभियन्ता एवं सचिव हि० प्र० आवास बोर्ड से स्वीकृत थी, के अनुसार दरवाजों की चौखटें 11.5 सैं० मी० x6.25 सैं० मी० के सैक्शन में व खिड़कियों की चौखटें 11.5 सैं० मी० x5.00सैं० मी० के सैक्शन में लगवाई जानी वांछित थी । कार्य अनुबन्ध के जनरल सपैसिफिकेशन व कन्डीशन नं० 39 के अनुसार "The working drawing and lay out plan duly approved by the Competent Authority should be followed during execution"

अतः उपरोक्त कार्य के निर्माण के दौरान स्वीकृत ड्राईंग में दिए गए दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों के सैक्शन को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से बदला किया गया जिससे बोर्ड को राशि 22958.00रु. का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा । इस राशि का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार था :-

मकान नं०	खिड़कियों व दरवाजों का नाम	सं०	आकार x सैक्शन	देय मात्रा घन मी.
23 से 30	डी		17 x7 x2 x2.09 x.115 x.0625	= 3.575
35 से 43	डी		17 x7 x1 x1.06 x.115 x.0625	= 0.855
23 से 30	डी,	1	17 x1 x2 x2.09 x.115 x.0625	= 0.510
35 से 43			17 x1 x1 x.85 x.115 x.0625	= 0.103

लगातार पृष्ठ 31 पर...

— २९२ -

मकान नं0	दरवाजों व खिड़कियों का नाम	सं0 आकार x सेक्शन	देय मात्रा घन मी.
23 से 30	डी$_2$	17x2x2x2.09x.115x.0625=	1.021
35 से 43		17x2x1x.75x.115 x.0625 =	0.183
23 से 30	डब्लू	15x1x2x2.40x.115x0.05 =	0.414
37 से 43		15x1x5x1.20x.115x.05 =	0.517
23 से 30	डब्लू$_1$	15x1x2x1.80x.115x.05 =	0.310
37 से 43		15x1x4x1.20x.115x.05 =	0.414
23 से 30	डब्लू$_2$	15x1x2x1.20x.115x.05 =	0.207
37 से 43		15x1x3x1.00x.115x.05 =	0.258
23 से 30	डब्लू$_3$	15x2x2x.75x.115.x.05 =	0.258
37 से 43		15x2x2x1.00x.115x.05 =	0.345
23 से 30	डब्लू$_4$	15x1x2x1.35x.115x.05 =	0.232
37 से 43		15x1x4x1.20x.115x.05 =	0.414
23,26,27,	डब्लू$_5$	6x1x2x1.35x.115x.05 =	0.093
30,40,43		6x1x4x1.20x.115x.05 =	0.165
		योग	9.874

अतः स्वीकृत ड्राईंग के अनुसार दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों में उपरोक्त मकानों में कुल मात्रा 9.874 घन मी. होनी थी लेकिन मण्डल द्वारा उपरोक्त मकानों के लिए कार्य मात्रा 11.64 घन मी. का भुगतान किया गया जिस का विवरण निम्न अनुसार था :-

मापन पुस्तक सं0	पेज	दत्त मात्रा
774/95	43	5.69 घन मी.
791/95	38	2.80 "
--do--	39	3.15 "
	योग	11.64 घन मी.

इस प्रकार बोर्ड को बगैर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से करवाए गए कार्य मात्रा 1.766 घन मी. (11.64 घन मी. -9.874 घन मी.) के लिए दर 13000/=रुपये प्रति घन मी. से राशि 22958.00रुपये का अनुचित भुगतान करना पड़ा । अतः उपरोक्त कार्य में दरवाजों व खिड़कियों की चौखटों के सेक्शन के बदलाव की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता एवं सचिव आवास बोर्ड से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त अनुचित व्यय के लिए उत्तर दायित्व निर्धारित कर राशि 22958.00रुपये की वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

"ड." दृश्य चलित बिल की मद सं0 5/6 (फिर प्रचलित मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 9.41 द्वारा वर्णित) कार्य मात्रा

लगातार पृष्ठ 32 पर....

निम्न किया गया :-

दिनांक 17.7.1993 द्वारा ... 30,37,665.85 (68.30% ऊपर) (273.44%) ...

7376.06 किलो ग्राम का भुगतान 18 रुपये प्रतिकिलो ग्राम की दर से किया गया । इस मात्रा के लिए ठेकेदार को राशि 132769.08रु. देय थे ‡ लेकिन ठेकेदार को राशि 1,33,769.08 रुपये का भुगतान किया गया जिससे राशि 1000.00रुपये का अधिक भुगतान किया गया अतः इस राशि की वसूली शीघ्र की जाए ।

"च" छठे चलित बिल तक उपरोक्त कार्य में संविदाकार द्वारा
===
3075 बोरी सीमेन्ट की प्राप्त की जा चुकी थी । लेकिन प्रथम चलित बिल से लेकर छठे चलित बिल तक किसी भी बिल के साथ अधिकृत खाली सिमेन्ट बैग कुलेक्टींग अभीकर्ता द्वारा प्राप्त खाली बोरियों की मात्रा का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था अतः अनुबन्ध की क्लाज 42‡II‡ के तहत प्रत्येक चलित बिल के साथ उपरोक्त प्रमाण पत्र वांछित था । अतः उपरोक्त नियम के तहत संविदाकार से राशि 2767.50रुपये ‡3075 ‡ 3075×90% × 1रुपये प्रति खाली सीमेन्ट बोरी‡ की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए ।

‡2‡ वाउचर सं0 154 राशि 92740.00 माह 3/96
===

इस वाउचर द्वारा राशि 92740.00रुपये का भुगतान कार्य एस. एफ. एस. बिन्दरावन पालमपुर में 18 नं. श्रेणी -I के मकानों के निर्माण के सोलवें चलित बिल का श्री डी.टी. जैन संविदाकार को किया गया । इस बिल के दौरान किए गए कार्य का मुल्यांकन मापन पुस्तक सं0 775/95 पेज 22 से 41 तक दर्ज किया गया था । इस बिल की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

"क" बिल की मद सं0 1/1 तथा हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 7.4‡ b+c+d+c / 4 ‡ द्वारा वर्णित कार्य की मात्रा 1471.27 घन मी. का भुगतान 45.00रुपये प्रतिघन मी. की दर से किया गया था । इस मात्रा में 30.99 घन मी. मात्रा 18 नं. मकानों के प्लिन्थ प्रोटेक्शन से सम्बन्धित थी । इस कार्य मात्रा 30.99 घन मी. की रिकार्ड प्रविष्टि मापन पुस्तक सं0 770 पेज 83 का अवलोकन करने पर पाया गया कि कार्य से प्राप्त मिट्टी को कार्य समापन के बाद वापिस फाउंडेशन में नहीं डाला जाना था । अतः इस कार्य मात्रा में किया गया कार्य हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 7.4 ‡ b+c+d+c / 4 ‡ द्वारा वर्णित कार्य कार्य के समरूप नहीं था । अतः इस कार्य मात्रा का भुगतान उपरोक्त मद सं0 7.4 ‡ b+c+d+c / 4 ‡ की दर से नहीं होना था । कार्य मात्रा 30.99 घन मी. का भुगतान Extra items दर से होनी थी । इस कार्य मात्रा का मिलान हि0 प्र0 मानक दर अनुसूची 1987 की मद सं0 7.2 ‡ b+c / 2 ‡ द्वारा वर्णित कार्य से पूर्णतय होता था :-

लगातार पृष्ठ 33 पर...

एच. पी. एस. आर 1987 की मद	मानक दर	संविदाकार की दर	अनुबन्ध मद सं0
7.4 ‌§ b+c+d+e / 4 §	41.64	45	1

प्रतिशतत: $= \frac{45-41.64}{41.64} \times 100 = 8.06\%$

अत: अतिरिक्त मद की दर
एच.पी.एस.आर 1987 की मद सं0 7.2§ b+c / 2 § की दर= 16.60

+ उपरोक्त *Similar class* कार्य की %
= 8.06% + 1.33

17.93

इस प्रकार ठेकेदार को उपरोक्त कार्य मात्रा 30.99 धन मी. का भुगतान 45.00रूपये प्रति धन मी. का दर से किया गया जबकि इस मात्रा के लिए वास्तविक दर 17.93 रुपये ही बनती थी । अत: संविदाकार को राशि 838.90रू0§ 45.00रू. -17.93रू. § x30.99धन मी.§ का अधिक भुगतान किया गया । इस लिए इस राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए ।

"ख" बिल मद सं0 30§ "*Providing and fixing PVC pipe 75 mm dia for rain water out let, cutting holes through existing Bricks work making good the same in cm 1:6*"§ की मात्रा 21.60 मी. का भुगतान अतिरिक्त मद की दर 75.76 रुपये प्रति मी. की दर से किया गया । इस मद की दर विश्लेषण में पाईप की दर एच.पी.एस.आर 1993 खण्ड-II के आधार पर लगाई गई थी । लेकिन संविदाकार का प्रिमियम एच.पी.एस.आर 1987 के आधार पर लगाया गया था । अत: इस मद की दर विश्लेषण में दो मानक दर अनुसूचियों का प्रयोग करना उचित नहीं था । इस मद की दर *Non Scheduled items* के आधार पर बाजारी दर से तैयार करवाकर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के प्राप्त करके आगामी कार्यवाही से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । अधिक भुगतान यदि कोई किया गया है, की शीघ्र वसूली की जानी भी सुनिश्चित की जाए ।

§22§ समायोजन वाउचर संख्या 30 मास 3/96 §एस§ राशि 9870रूपये

इस समायोजन वाउचर द्वारा निम्न निर्माण कार्यों पर उपयोग हेतु सीमेन्ट व सरिया जारी करने के फलस्वरूप मु0 9870/=रूपये की राशि डेबिट व क्रेडिट की गई :-

1§ 8 नं. एच. आई. जी.. मकान हेतु = 5880रूपये
सड़क का निर्माण एस. एच. सी. हेतु=§ -1588रूपये

लगातार पृष्ठ 34 पर...

दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न दिया गया :-
1§ संविदा कार्य 34,57,665.85 §80.36% ऊपर§
2,54,232.40 §273.14% "§

लगातार पृष्ठ 35 पर....

295 -

2) 13 नम्बर एम. आई. जी. मकान देहरा =6084रुपये
सड़क का निर्माण एस. एच. सी. देहरा =(-) 6084रुपये

3) सड़क का निर्माण एन. सी. देहरा = 1440 रुपये
13 नम्बर एम. आई. जी. देहरा=(-) 1440रुपये

4) 8 नं० एच. आई. जी देहरा = 1758रुपये
सड़क का निर्माण एच. एस. सी. देहरा =(-) 1758रुपये

परन्तु इस समायोजन वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन्डेंट संख्या 8721 मास 3/96 द्वारा केवल 1158 रुपये की राशि का सीमेन्ट ही उक्त क्रम संख्या (4) पर दर्शाए गए निर्माण हेतु जारी किया गया था तथा उक्त निर्माण कार्य पर केवल 1158/=रु रुपये की राशि ही डेबिट तथा क्रेडिट करने की बजाए 1758रुपये की राशि डेबिट व क्रेडिट कर दी गई । इस प्रकार 600रुपये की राशि का अधिक डेबिट व क्रेडिट किया गया है लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

(23) अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मण्डल कार्यालय में भण्डार स्टॉक के मूल्य निर्धारण खाता वही का रख रखाव नहीं किया गया था । उक्त खाता वही को शीघ्र तैयार किया जाए तथा खाता वही आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत की जाए ।

(24) समायोजन वाउचर संख्या 35 मास 3/96 राशि 72154रुपये

(क) इस समायोजन वाउचर के साथ वाउचर 62 दिनांक 30.3.96 के अनुसार 640 रुपये की राशि का भुगतान मैसर्स पुनम आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, इन्दौरा को सफेद पी. वी. सी. पाईप 3" के खरीदने हेतु किया गया परन्तु पाईप के क्रय से सम्बन्धित स्वीकृति तथा एम. ए. एस. अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये ।

(ख) तद वाउचर 63 दिनांक 30.3.96 द्वारा मु० 1000रुपये का भुगतान श्री तोमराज को हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में 45 फुट खड्डा खोदने के लिए किया गया । परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति एवं व्यय के उचित शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकरण से सम्बन्धित अभिलेख हेतु आगामी लेखा परीक्षा पर दिखाया जाए ।

(ग) [illegible] समायोजन वाउचर के सब वाउचर 27 से 43, तथा 49 से 61 से सम्बन्धित एम. ए. एस. रजिस्टर तथा माप पुस्तिकाएं आदि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये । उक्त अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

(25) निम्नलिखित समायोजन वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत न किए जाने से उक्त की जांच नहीं की जा सकी । सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए :-

लगातार पृष्ठ 35 पर....

पत्र संख्या [illegible]/एच. डी/[illegible]-7[illegible] -1/93-1913-19 दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न किया गया :-
1) [illegible] कार्य 34,57,665.85 (80.36% रुपये)
2) [illegible] अभिलेख 2,84,232.40 (273.[illegible]%)

लगातार पृष्ठ 36 पर....

...स्तर संकल के संशोधन के कारण
1.1.93 को पदोन्नत पद पर वेतन = 2130+120रुपये

- 296 -

समायोजन वा0 सं0	मास	राशि (रुपये)
44	3/96 (एस)	730.00
45	-"-	1761.61
46	-"-	1836.10
47	-"-	930.00
48	-"-	1971.20
49	-"-	1439.10
50	-"-	864.00
	कुल राशि	9581.01

(26) वाउचर संख्या 73 दिनांक 19.9.95

इस भुगतान वाउचर द्वारा श्री धनन्जय ठाकुर लिपिक को गर्म वस्त्रों के क्रय हेतु 3000रुपये के अग्रिम का भुगतान किया गया। अभिलेखों की छानबीन के उपरान्त पाया गया कि इस से पूर्व मास 9/9/93 में भी उक्त कर्मचारी को मु0 800रुपये का अग्रिम गर्म वस्त्रों के क्रय हेतु प्रदान किया गया था। इस प्रकार उक्त कर्मचारी को दो वर्ष के बाद ही दूसरा अग्रिम स्वीकृत कर दिया गया।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के अनुसार गर्म वस्त्रों के क्रय हेतु अग्रिम तीन वर्षों में केवल एक बार ही देय है। उक्त नियमों की उलंघना करके अग्रिम का अनियमित रूप से भुगतान करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए।

(27) वाउचर संख्या 117 दिनांक 27.9.95 राशि 37920रुपये

इस वाउचर द्वारा मु0 37920 रुपये का अग्रिम भुगतान हि0 किया ल0 प्रदेश सीविल सप्लाई कोरपोरेशन चम्बा को उन के परफोरमा बिल दिनांक 9.9.95 अनुसार 240 बोरियां सीमेन्ट के क्रय हेतु किया गया। व्यय से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई। आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति अब प्राप्त की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

(28) वाउचर संख्या 156 दिनांक 30.3.96 राशि 153275रुपये

सामाजिक वित्तीय योजना के अधीन विन्डावन पालमपुर में 32 नं0 श्रेणी-III के निर्माण कार्य का ठेका श्री डी.डी.जैन, ठेकेदार को अनुबन्ध संख्या 11 वर्ष 1993-94 द्वारा अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.डी./डब्लू-7/अवार्ड-11/93-1213-19 दिनांक 17.7.1993 द्वारा निम्न दिया गया :-

1) सीविल कार्य 34,57,665.85 (60.30% ऊपर)
2) पानी तथा सैनिटेशन 2,84,232.40 (273.44% ")
फिटिंग

लगातार पृष्ठ 36 पर....

— 297 —

(3) प्लाटों का विकास 1,00,118.06 (82.35% उपर)

(क) उक्त निर्माण कार्य के 16वें चलत बिल तक परिशिष्ट"अ" के अनुसार कार्य की कुल लागत 36,34,813.65 रुपये बनती है । कार्य की मद संख्या 22 से 27 तक अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य किया गया है । इन अतिरिक्त मदों से सम्बन्धित कार्य की लागत का कुल जोड़ 2,10,618.72रुपये बनती है इस प्रकार 34,24,194.93रुपये पर 1.5% की दर से कुल छूट की राशि 51362.92रुपये बनती है जबकि बिल के अनुसार केवल 49596.75रुपये की राशि ही छूट के रूप में घटाई गई है । इस प्रकार संविदाकार को (51362.92-49596.75) =1766.17रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । अधिक भुगतान की गई राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली की जाए ।

(ख) टेण्डर मंगवाने के समय इस कार्य की अनुमानित लागत 19,71,079 रुपये थी और धरोहर राशि डी.एफ.आर. के अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत पर 2% की दर से अधिकतम 50000रुपये धरोहर राशि जमा की जानी आपेक्षित थी । इस निर्माण कार्य को आवंटित करते समय सम्बन्धित संविदाकार से 1971079 x2%=39422 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करवाए जाने आपेक्षित थे जब कि इस निर्माण कार्य को आवंटित करते समय संविदाकार द्वारा केवल 20000रुपये ही जमा करवाए गये । सम्बन्धित नियमों की अनुपालना न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

(ग) इसी बिल की मद संख्या 24 "प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 रीइन फोरसमेंट x कंक्रीट ब्राज नोट एक्सीडिंग 10 सैं0 मी0 थिकनेस" के निर्माण से सम्बन्धित कार्य का भुगतान 3500 रुपये प्रतिघन मी. (पार्ट रेट) की दर से किया गया है । इस मद की भुगतान दर अनुबन्ध की धारा 12(II) के अनुसार पर विश्लेषण के आधार पर 4261.25 रुपये प्रतिघन मीटर निर्धारित की गई है । अंकेक्षण के दौरान जांच करने पर पाया गयाकि इस मद का दर विश्लेषण अनुबन्ध की धारा 12(II) के स्थान पर 12(III) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना आपेक्षित था :-

एच.पी.एफ.आर. 1987 की
मद संख्या 9.34 की दर = 1740.50रुपये
जमा संविदाकार की अनुमानित
लागत पर प्रतिशतता = 1740.50 x82.36% =3278.40
... की रेट थी = 3278.40रुपये प्रतिघन मीटर

संविदाकार को अनियमित रूप से अधिक दर पर भुगतान करने बारे औचित्य के स्पष्टीकरण सहित अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सहित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(घ) 16 वें चलत बिल तक 6642 बोरियां सीमेन्ट की मद

लगातार पृष्ठ 37 पर...

- 298 -

की गई है । अनुबन्ध की शर्त संख्या 42(2) के अनुसार संबंधित संविदाकार को प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय कैश कोलेक्टिंग एजेण्ट से उपयोग की गई सीमेन्ट की बोरियां का कम से कम 90% खाली बोरियों की रसीद प्राप्त करके बोर्ड को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई बोरियों में से कम से कम 90% बोरियों की वसूली संविदाकार से मु0 1 रुपये की दर से की जानी थी । किन्तु न तो संविदाकार ने रसीद प्राप्त की तथा न ही खाली बोरियों की कीमत वसूल की गई । अतः वसूली न किए जाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा उपरोक्त शर्तानुसार वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(29) भुगतान वाउचर संख्या 79 दिनांक 22.9.95 राशि 93846/=रुपये

पपरोला में जवाहर नवोदय विद्यालय के अन्तर्गत 12 नम्बर एस.पी.ऐह तथा 3 नम्बर प्रयोगशाला के निर्माण का ठेका श्री सुनील मनोचा संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 18 वर्ष 1993-94 अवार्ड पत्र संख्या सी.टी./एच.बी/डब्ल्यू-7-कण्ड16/94-42441-47 दिनांक 7.2.94 के द्वारा मु0 15,92,924.25 रुपये का दिया गया था ।

(क) उक्त निर्माण कार्य के 11वें चलत बिल जिस की कुल राशि ~~xx,xxx~~ 1765720/79रुपेय तथा लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 699/94 पृष्ठ 87 से 97 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित कार्य की मात्रा तथा वास्तव में जो निर्माण कार्य हुआ है, में काफी अन्तर है । इस असाधारण वृद्धि बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए :-

मद सं0	मद का विवरण	अनुबन्ध में ऐसी मात्रा	वास्तव में कार्य हुआ	अन्तर प्रतिशत
1/1	एक्सावेशन	162.90घनमी.	418.45घनमी.	157%
4/5	पी/एल.सी.सी. 1:6:12 फुटिंग	84.18घनमी.	111.19घनमी.	32%
7/8	सी.सी. 1:2:4 लैंटल व बीम	19.05घनमी.	58.74 घनमी.	208%
8/9	सैंटरीग तथा शटरिंग	269.91वर्गमी.	581.10वर्गमी.	115%
9/10	रिइनफोर्समेंट आफ स्टील	1716कि.ग्रा.	6194.92कि.ग्रा.	261%
17/12	स्टील वर्क फिक्ड इन ट्रस्स	9192.90कि.ग्रा.	18253.53कि.ग्रा.	99%

(ख) माप पुस्तिका संख्या 699/94 पृष्ठ 87 के अनुसार निर्माण कार्य दिनांक 10.2.94 को आरम्भ हुआ तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य को समाप्त करने की अवधि एक वर्ष थी । इस प्रकार यह निर्माण कार्य दिनांक 9.2.95 को समाप्त होना था ।

लगातार पृष्ठ 38 पर....

- 299 -

कार्यालय पत्र संख्या डी.डी./एच बी/ए.बी/मेमो/95-5369-70 दिनांक 17.1.96 के अनुसार दिनांक 29.2.96 तक कार्य समाप्ति की अवधि बढ़ाई गई है। परन्तु संविदाकार द्वारा अभी तक भी यह निर्माण कार्य समाप्त नहीं किया गया है। अतः कार्य को समय पर समाप्त ~~नह~~ न करने के कारण अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार संविदाकार के विरुद्ध की गई कार्यवाही से आगामी लेखा परीक्षा पर अवगत करवाया जाए।

(ग) 11 वें चलत बिल तक कुल 1690 बोरियां सीमेन्ट की खपत की गई है। अनुबन्ध की शर्त 42(2) के अनुसार संविदाकार द्वारा प्रत प्रत्येक चलत बिल का दावा प्रस्तुत करते समय उपयोग की गई सीमेन्ट की बोरियों का कम से 90 प्रतिशत खाली बोरियों को प्रस्तुत की जानी थी अन्यथा जारी की गई सीमेन्ट की बोरियों में से 90% खाली बोरियों की वसूली संविदाकार से एक रुपये की दर से प्रत्येक चलत बिल का भुगतान करने से पूर्व की जानी आपेक्षित थी। किन्तु वर्तमान प्रकरण में न तो संविदाकार द्वारा वैग कोलेक्टिंग एजेन्ट से प्राप्त खाली बोरियों की रसीद बोर्ड को प्रस्तुत की गई है और न ही संविदाकार को चलत बिलों का भुगतान करते समय अनुबन्ध की शर्तें के अनुसार कटौती की गई। अतः इस सन्दर्भ में अब उपयुक्त कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

(30) <u>भुगतान वाउचर संख्या 95 दिनांक 22.9.95 राशि 97925/=रुपये</u>

कांगड़ा में सामाजिक आवासीय कालौनी के अधीन शोपिंग कम्पलैक्स के निर्माण कार्य का ठेका श्री रमेश चन्द चोपड़ा संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 3 वर्ष 1995-96, अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/डब्लू-7/94-2210-2216 दिनांक 18.7.95 को राशि 1,86,450.12रुपये का दिया गया।

(क) उक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल जिस की रिकार्ड एवं मापक प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 757 पृष्ठ 1 से 26 तक की गई है, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य पर वास्तविक मात के आधार पर रनिंग मीटरों में मापे गए 8 एम.एम. सरिया की मात्रा को किलोग्राम में बदलने के लिए निर्धारित 0.39 का फैक्टर लगाने की बजाए 0.49 का फैक्टर लगाया गया। इस प्रकार गलत फैक्टर लगाकर 8 एम.एम. सरिये की कुल 223.00 किलोग्राम अधिक मात्रा मापी गई है जिस का पूर्ण विवरण निम्न दिया जाता है :-

माप पुस्तिका संख्या	पृष्ठ सं0	सरिए की मात्रा (रनिंग मीटर)	फैक्टर जो लगाया गया	फैक्टर जो लगाना था	सरिए की अधिक मात्रा
575/95	6	129.60	0.49	0.39	11.66
-"-	11	208.05	0.49	0.39	20.80
-"-	16	1905.40	0.49	0.39	190.54
					223.00

लगातार पृष्ठ 39 पर...

...1.75 को पदोन्नत पद पर वेतन = 2130+20रुपये

300

इस प्रकार 223.00 कि.ग्रा. सरिए का 17रुपये प्रति कि.ग्रा. (अरू रेट) के हिसाब से कुल (223.00x17) =3791.00रुपये का अधिक भुगतान हुआ है । इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

(ख) माप पुस्तिका संख्या 757/95 पृष्ठ -4 के अनुसार सैविंद क्लास ब्रीक वर्क इन फाउंडेशन /पलीन्थ से सम्बन्धित किए गए कार्यों की रिकार्ड प्रविष्टि करते समय माप निम्नानुसार लिया गया है :-

क्रोस वाल = 2 x5.86 x.23 x0.375 =1.01 घन मीटर
टी वाल = 4x2.70x.23 x0.375= 0.93 घन मीटर
1.94 घन मीटर

परन्तु इसी माप पुस्तिका के अनुसार फाउंडेशन/पलीन्थ में सी.सी. [illegible] 1:6:12 कार्य की मद के आधार पर उक्त मद का माप निम्नानुसार होना चाहिए था :-

क्रोस वाल = 2 x4.50 x..23 x0.375= 0.77 घन मी.
टी वाल = 4x 1.95 x.23 x0.375 =0.67 घन मी.
1.44 घन मी.

इस प्रकार कार्य की इस मद का गलत माप दर्शाकर संविदाकार को कुल 0.50 घन मीटर का 1000 रुपये की दर से कुल 500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

(31) रोड रोलर संख्या 8238 की मुरम्मत तथा रख-रखाव पर कुल ~~ररर~~ 77774.10रुपये व्यय हुआ तथा इस रोड रोलर की वर्ष 1995-96 के दौरान आउट टर्न के रुप में केवल 11232 रुपये ही क्रेडिट किए गए हैं । रोड रोलर पर हुए अत्यधिक व्यय की तुलना में अत्यन्त ही न्यूनतम आउटटर्न की प्राप्त की गई राशि के कारणों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए । इस के अतिरिक्त आउट-टर्न की दर के निर्धारण बारे भी दोबारा जांच की जाए ।

(32) निम्नलिखित राशियां संविदाकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्य आदेश के आधार पर किए जाने हेतु भुगतान की गई परन्तु कार्य आदेश की धारा 2 की अनुपालना में संविदाकारों के भुगतानों में से कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए तथा भविष्य में उक्त नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जाए :-

क्रमांक	आदेश सं0	दिनांक	राशि	प्रतिभूति जो काटी जानी थी	संविदाकार का नाम
1.	3	1.9.95	13537	679	श्री कुलदीप मेहरा
2.	5	1.9.95	3277	164	-"-"-"-
3.	9	1.3.96	19611	981	श्री डी.डी. जैन
4.	132	30.3.96	2967	149	श्री राजा [illegible]
5.	144	30.3.96	1676	84	श्री कुलदीपशर्मा

लगातार पृष्ठ 40 पर..

301-

§33§ **भुगतान वाउचर संख्या 7 दिनांक 1.3.96 राशि 15795रुपये**

कार्य आदेश संख्या 57 वर्ष 95-96 द्वारा ईंट व रेत सप्लाई करने का ठेका श्री डी.डी. जैन, संविदाकार को दिया गया । माप पुस्तिका संख्या 756/95 पृष्ठ 54 व 55 पर उक्त कार्य के पहले चलत बिल द्वारा सप्लाई किए गए 11.30 घन मीटर रेत का भुगतान कार्य आदेश पर दर्शाई गई 210 रुपये प्रति घन मीटर की दर की बजाए 215 रुपये प्रति घन मीटर की दर से किया गया इस अनियमितता के कारण संविदाकार को कुल §11.30 x5§ 56रुपये 50 पैसे का अधिक भुगतान किया गया है । इस राशि की संविदाकार से शीघ्र वसूली की जाए ।

§34§ **भुगतान वाउचर संख्या 41 दिनांक 7.3.96 राशि 68675रुपये ।**

सिद्दपुर में 6 नम्बर श्रेणी -I के मकानों के निर्माण कार्य का ठेका श्री डी.डी. जैन,संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 19 वर्ष 1995-96 ,अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच.बी/डब्ल्यू-7/94-2518 -25 दिनांक 28.7.95 द्वारा मु0 9,75,686/94 का दिया गया ।

इस निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल जिस की माप एवं लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 799/95 पृष्ट 1 से 22 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य की मद "प्रोवाईडिंग एण्ड लेयिंग सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 इन पुटिंग कोलम" की कुल कार्य मात्रा 20.97 घन मीटर का भुगतान 1600 रुपये प्रति घन मी. की दर से किया गया था । कालम में टापर्ड भाग का आयतन निकालने के लिए $H_3(A_1+A_2+\sqrt{A_1 \times A_2})$ के सूत्र का प्रयोग न करके किसी अन्य सूत्र का प्रयोग किया गया था जिस के कारण ~~किसी अन्य सूत्र का~~ संविदाकार को 2.59 घन मी. मात्रा का भुगतान 1600रुपये प्रति घन मीटर की दर से 4144 रुपये राशि का अधिक किया गया था । इस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

माप पु.सं./पृष्ट	कालम का नाम	बेस सरिया	टोप सरिया	एच	दी गई मात्रा घ.मी.	देय मात्रा घ.मी.	अन्तर घन मी.
799/95/3	A_1	2.56	.16	.25	0.51	0.28	0.23
-"-	A_6	2.56	.16	.25			
-"-	A_2A_5 B_2B_5	3.42	.16	.40	2.80	2.30	0.50
-"-	A_3A_4	3.61	.16	.40	1.51	1.21	0.30
-"-	B_1B_6	1.98	.18	.30	0.64	0.54	0.10
-"-	B_2B_5	2.09	.16	.30	0.67	0.56	0.11
-"-	B_3B_4	3.80	.16	.40	1.58	1.26	0.32
-"-	C_1C_6	1.82	.16	.20	0.39	0.33	0.06
-"-	$C_2C_3C_4C_5$	2.72	.16	.30	1.68	0.71	0.97
							2.59

लगातार पृष्ठ 41 पर...

1.1.93 को पदोन्नत पद पर वेतन = 2130+20रुपये

302 -

अधिक भुगतान की गई राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

§ख§ इसी प्रकार उक्त मद के निर्माण कार्य में 2.59 घन मी. कार्य कम हुआ है । अतः सीमेन्ट की खपत 1:2:4 सीमेन्ट कंक्रीट के लिए 6.40 बोरियां प्रति घन मी. की दर से 2.59 घन मी. हेतु कुल 17 बोरियां प्रतिxxxxxxxxxxx सिमेन्ट की अधिक खपत दर्शाई गई है । इन सिमेन्ट बोरियों की कीमत की वसूली दुगनी दर से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

§35§ वाउचर संख्या 164 दिनांक 31.3.96 राशि 176675रुपये

धर्मशाला में शिक्षा बोर्ड के 6 नम्बर श्रेणी-III स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य का ठेका श्री मुकेश कुमार महाजन संविदाकार को अनुबन्ध संख्या 14 वर्ष 1995-96 ,अवार्ड पत्र संख्या डी.डी./एच. बी/डब्ल्यू -7/94-223-29 दिनांक 24.4.95 द्वारा 12,81,816रुपये 65 पैसे का दिया गया ।

इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित द्वितीय चलत बिल जिस की लागत प्रविष्टियां माप पुस्तिका संख्या 788/95 पृष्ठ 34 से 47 तक की गई हैं, की पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्य की मद"प्रोवाईडिंग टोर स्टील रिइनफोरसमैंट" के निर्माण हेतु प्रयोग की गई 8 एम.एम.स्टील की वास्तविक खपत के आधार पर रनिंग मीटरों में मापी गई स्टील की मात्रा को किलोग्राम में बदलने के लिए निर्धारित 0.39 का फैक्टर लगाने के बजाए गलत फैक्टर लगाए गए है इस प्रकार कुल 323.32 किलोग्राम सरिए की अधिक खपत दर्शाई गई है जिस का विवरण निम्न प्रकार है :-

माप पुस्तिका सं0/पृष्ठ		सरिए की मात्रा§रंनिंग मी.§	फैक्टर जो लगाना था	फैक्टर लगाया गया	अधिक खपत §कि. ग्रा.§
788	5	799.52	0.39	0.49	79.95
-"-	15	114.88	0.39	0.49	111.49
-"-	18	126.42	0.39	0.49	12.64
-"-	18	724.58	0.39	0.49	72.42
-"-	28	1057.15	0.39	0.395	5.29
-"-	91	2329.17	0.39	0.395	11.65
714	35	851.00	0.39	0.395	4.25
-"-	65	2359.85	0.39	0.395	11.80
871 788	50	567.84	0.39	0.395	2.84
-"-	59	851.00	0.39	0.395	4.26
-"-	61	1344.76	0.39	0.395	6.73
					323.32

लगातार पृष्ठ 42 पर....

303 -

इस प्रकार 323.32 किलोग्राम सरिए की अधिक खपत की वसूली 15.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5092 रुपये की वसूली के अतिरिक्त इस अनियमितता हेतु दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

§36§ वर्ष 1995-96 की खातावही के पृष्ठ 30 के अवलोकन से पाया गया कि वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न संविदाकारों के निर्माण कार्य विलों पर कुल 381,167 रुपये की राशि आयकर के रूप में काटी गई है । उपरोक्त आयकर की कुल राशि पर 12% की दर से सरचार्ज काटा जाना आपेक्षित था । इस प्रकार वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 45740रुपये सरचार्ज के रूप में काटे जाने आपेक्षित थे जब कि वर्ष 1995-96 के दौरान केवल 4797 रुपये ही सरचार्ज के रूप में काटे गये हैं । सरचार्ज के रूप में शेष 40943रुपये की राशि की वसूली न किए जाने के कारणों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाते हुए इस राशि की शीघ्र वसूली हेतु समुचित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

§37§ निम्नविवरणानुसार व्यय आवासीय वस्ती स्कूल शिक्षा बोर्ड सिद्दपुर में एक टाईप-IV के मकान के निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय औजारों के तेज करने हेतु किया गया :-

समायोजन वा0 सं0 3/96	सव वा0 सं0	टी.पी. रजिस्टर	तेज किए गये औजारों का विवरण		तेज करने की तिथि	राशि रु0	माप पुस्तिका सं0
22	3	2-3	7 गेंती	2जव्वल	4.11.95	120.00	724/58-59
-"-	8	-"-	-"-	-"-	24.11.95	120	754/61
23	1	-"-	-"-	-"-	6.12.95	120	754/70
-"-	16	-"-	-"-	-"-	22.12.95	120	754/77
24	2	-"-	-"-	-"-	4.1.96	120	754/87
-"-	9	-"-	-"-	-"-	16.1.97	120	754/90
						840रुपये	

उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि उपरोक्त औजार जिन की संख्या टी.पी. रजिस्टर में 7 गेंती व 2 जव्वल है, को तेज करने पर अत्याधिक व्यय किया गया है परन्तु विभागीय तौर पर करवाए जा रहे कार्य से सम्बन्धित मस्ट्रोल इत्यादि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये । अतः उक्त व्यय की अंकेक्षण पर जांच नहीं की जा सकी । इस व्यय की जांच उच्चाधिकारियों द्वारा करके उक्त अभिलेख सहित अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

लगातार पृष्ठ 43 पर......

... पद पर वेतन = 2130+20रुपये
1.1.93 को 1800-3200 के वेतन —
:= 43 =:

< 304 >

§38§ मण्डलीय वाहन संख्या एच.आई. के. 460 क. लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार प्रत्येक मास के अन्त में दर्शाया गया पैट्रोल का शेष आगामी मास के शुरू में कम मात्रा में गणना में लिया गया है :=

लाग बुक पृष्ठ संख्या	मास	मास के अन्त में पैट्रोल की शेष मात्रा §लीटर§	आगामी मास के आरम्भ में गणना में लिए पट्रोल की मात्रा §लीटर§	गणना में कम लिया गया पट्रोल की मात्रा §लीटर§
84	10/95	53	40	13
81	8/95	55	40	15
82	11/95	67	40	27
87	12/95	97	40	57
90	3/96	95	40	55
78	9/95	20	-	20
85	1/96	118	40	78
88	2/96	115	40	75
				340

उपरोक्त विवरण से विदित होता है कि कुल 340 ली. पट्रोल जिस की कुल कीमत 17.05 रुपये की दर से कुल 5797रुपये बनती है, गणना में कम लेकर इस का दुर्विनियोजन किया गया है। इस गम्भीर अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही के अतिरिक्त इस राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

§39§ सेवा पुस्तिकाएं:-

कर्मचारियों व अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच करने पर निम्न आपत्तियां पाई गई :-

§क§ सुभाष चन्द चोपड़ा मण्डलीय मुख्य प्रारुपकार:-

श्री सुभाष चन्द चोपड़ा मण्डलीय मुख्य प्रारुप कार की नियमित पदोन्नती होने के फलस्वरूप, अधिशासी अभियन्ता निर्माण मण्डल धर्मशाला के कार्यालय पत्र सं. डी/ए.बी/ई-24/94-5863-65 दिनांक 9.2.96 द्वारा वेतन निर्धारण को अनुभाग अधिकारी §प्रशासन§ आवास बोर्ड शिमला के पृष्ठांकन सं० एच बी-3-353/79-प्रशासन दिनांक 12.3.96 द्वारा अनुमोदित किया गया था

30.10.92 को 1800-3200 के वेतन मान में वर्तमान वेतन :- = 2100.00रुपये

30.10.92 को पदोन्नत पद के वेतन मान में §2000-3500§ में वेतन:- = 2150रुपये

लगातार पृष्ठ 44 पर......

— 305 —

मास्टर स्केल के संशोधन के कारण

1.1.93 को पदोन्नत पद पर वेतन	=	2130+20रुपये
1.1.93 को 1800-3200 के वेतन मान में देय वेतन वृद्धि के कारण वेतन	=	2200+20रुपये
1.1.93 को एफ.आर. 22(I)(a)(1) के तहत वेतन निर्धारण	=	2270+20
1.1.94 को वेतन	=	2340+20
1.1.95 " "	=	2410+20
1.1.96 " "	=	2480+20

अगली वेतन वृद्धि 1.1.97 हि0 प्र0 वित्त विभाग के पत्र सं0 आई. एफ. सी -4-2/88 दिनांक 30.3.94 में संलग्न परिशिष्ट-II में दी गई टिप्पणी के अनुसार 1.1.93 से देय अतिरिक्त वेतन मूल वेतन का भाग माना जाऐगा । इस टिप्पणी के अनुसार कर्मचारी का वेतन 1.1.93 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि देने के बाद 2200+20 रुपये प्रति मास निश्चित होता है । तदोपरान्त नियम एफ.आर 22(I)(a)(1) के तहत पदोन्नती पर कर्मचारी का वेतन पदोन्नत पद के वेतन मान में आगामी स्टेज पर निर्धारित होता है । वेतन मान 2000-3500 में 2220 के बाद 2270/=रुपये की स्टेज पहुती है । अतः कर्मचा कर्मचारी का वेतन 1.1.93 को 2270 रुपये प्रति मास निश्चित होना था । इस प्रकार कर्मचारी को निम्न प्रकार मूल वेतन देय था :-

1.1.93	2270 रुपये
1.1.94	2340रुपये
1.1.95	2410 रुपये
1.1.96	2480 रुपये

आगामी वेतन वृद्धि 1.1.97 .

इस कर्मचारी को 1.1.93 से आगे तक 20रुपये प्रति मास मूल वेतन का अधिक भुगतान किया गया । अतः उपरोक्त मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि के साथ -2 अन्य अधिक भुगतान किए गए लाभों की राशि की गणना करने के पश्चात कुल अधिक भुगतान की गई राशि की तुरन्त वसूली करना सुनिश्चित की जाए ।

(ख) श्री एस.पी. बंसल सहायक अभियन्ता: -

सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हि0प्र0 आवास बोर्ड शिमला के पत्र सं0 एच0बी-5-29 1(प्रशासन) दिनांक 1.6.95 द्वारा श्री एस. पी. बन्सल सहायक अभियन्ता का वेतन 20.10.92 से देय प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के फलस्वरूप निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :-

19.10.92 को कर्मचारी का वेतन	2580 रुपये
20.10.92 को प्रवीणता वेतन वृद्धि की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन	2640 रुपये
1.1.93 से मास्टर वेतन मान में संशोधन के फलस्वरूप वेतन	2625+15रुपये

लगातार पृष्ठ 45 पर ...

केवल 100/=रु. देय है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवा- इयां प्रतिपूर्तिहेतु अस्वीकार्य

-306-

1. 1.93 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि के
वाद वेतन 2700+15
1. 1.94 2775+15

इस अधिकारी को सचिव एवं मुख्यअभियन्ता के कार्यालय पत्र सं0 एच. बी/5-23/88 -प्रशासन खण्ड-III दिनांक 7.6.94 को सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया। श्री एस.पी. बंसल ने दिनांक 14.6.94 पूर्वाहन सहायक अभियन्ता के पद का कार्यभार सम्भाला इस अधिकारी का वेतन निम्नअनुसार निर्धारित किया गया।

1. 1.94 को 1800-3200 के वेतन मान में वेतन 2775+15
14. 6.94 को पदोन्नती पर 2200-4000 के वेतन मान में
नियम एफ. आर 22(I) (a) (1) के तहत
वेतन निर्धारण 2925+15

~~14.6.94 को पदोन्नति पर 2200~~

अगामी देय वेतन वृद्धि दिनांक 1.6.95.

बित विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र सं0 आई-एफ सी-4-2/88 दिनांक 30.3.94 में सलग्न परिशिष्ट (II) में दी गई टिप्पणी के अनुसार 1.1.93 से देय अतिरिक्त वेतन मूल वेतन का भाग माना जायेगा। अतः 14.6.94 को कर्मचारी का मूल वेतन 1800-3200 रुपये के वेतन मान में 2775+15 रुपये था। नियम एफ. आर 22(I) (a)(1) के तहत कर्मचारी का वेतन पदोन्नती पर निम्न वेतन मान में देय वेतन वृद्धि के बराबर बढ़ाकर पदोन्नत पद के वेतन मान में अगामी स्टेज पर निर्धारित होना था। वेतन वृद्धि देने के वाद कर्मचारी का वेतन 2850+15=2865रुपये निर्धारित होता है। 2200-4000 के वेतन मान में 2865 के वाद 2925 रुपये की स्टेज आती है। अतः कर्मचारी का वेतन 14.6.94 को नियम 22(I) (a)(1) के तहत 2925 रुपये प्रतिमास निश्चित होता है।

14.6.94	2925
1.6.95	3000
1.6.96	3100

अगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1.7.97.

इस अधिकारी को 14.6.94 से आगे 15 रुपये प्रति मास मूल वेतन का अधिक भुगतान किया जा रहा था अतः मूल वेतन के अधिक भुगतान की राशि के साथ -2 अन्य अधिक भुगतान किए गए लाभों की राशि की गणना करने के पश्चात कुल अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

लगातार पृष्ठ 46 पर.....

केवल 100/=रु. देय है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिपूर्तिहेतु अस्वीकार्य

307

§40§ **वाउचर सं0 56 माह 3/96 राशि 594.00रुपये**

इस राशि का भुगतान ब्रांच मैनेजर एल.आई.सी. आफ इण्डिया, शिमला शाखा को एल.आई.सी के प्रिमियम का भुगतान किया गया । उपरोक्त राशि में 10 रुपये बैंक कमीशन भी जोड़ा गया था । यह राशि को वोर्ड के खाते में बैंक कमीशन के रूप में Debit किया गया था । उपरोक्त प्रिमियम का भुगतान करना कर्मचारी का व्यक्तिगत दायित्व होता है । अत: वोर्ड के खर्चे पर एल.आई.सी के प्रिमियम का भुगतान करना उचित नहीं है अत: वर्ष 1995-96 के दौरान बैंक कमीशन पर व्यय की गई कुल राशि 120/=रुपये की वसूली तुरन्त करना सुनिश्चित की जाए ।

§41§ **वाउचर सं0 150 माह 3/96 राशि 350.00रुपये**

इस राशि का भुगतान श्री मति सुमन अंशकालिक सफाई कर्ता को माह 2/96 के दौरान किए गए सफाई कार्य के लिए किया गया । यह भुगतान 3 घण्टे प्रतिदिन, 22 दिन के लिए 5.30 रुपये प्रति घण्टे की दर से किया गया । वेतन विल की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 4.2.96 रविवार, 17.2.96 सरकारी अवकाश व 10.2.96 को द्वितीय शनीवार को भी कार्य करना करना दिखाया गया है । जबकि इन दिनांक में कार्यलय वन्द होता है । इसके अलावा इस कर्मचारी को छः दिन के वाद वेतन सहित अवकाश दिया गया था । जवकि अंशकालिक कर्मचारी को वेतन सहित अवकाश देने का कोई भी प्रावधान नहीं है । इस लिए अंकेक्षण अवधि के दौरान समस्त रविवार, द्वितय शनीवार, सरकारी अवकाश व अदेय वेतनसहित अवकाश के दिनों के लिए भुगतान की गई राशि की गणना मण्डल द्वारा अपने स्तर पर करने के वाद वसूल करना सुनिश्चित किया जाए

§42§ निम्नलिखित वाउचरों द्वारा फोटो स्टेट पर किए गए व्यय को विविध अनपरेरसीन चार्ज"शीर्ष में डेविट किए गए थे । जव कि फोटो स्टेट के ये निर्माण कार्य से सम्बन्धित अभिलेख के थे । अत: व्यय की गई कुल राशि 1612.00रुपये की राशि को भिन्न-2 निर्माण कार्य लेखाओं को निम्न विवरणानुसार डेविट की जानी अपेक्षित थी । लेखाओं में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

वाउचर नं0	माह	राशि	कार्य का नाम	फोटो स्टेट करवाए गए अभिलेख का विवरण ।
83	3/96	250.00	कांगड़ा	4 नं0 अन्तिम विलों 3 नं0 कार्य अनुबन्ध के फोटोस्टेट मामले में
84	3/96	340.00	कांगड़ा	उपरोक्त
		278.00	जे.एस.वी.पपरोला	शडयूल मात्रा का फोटोस्टेट कापियों को करवाया गया

लगातार पृष्ठ 47 पर...

केवल 100/=रु. देय है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इयां प्रतिमुद्रित अस्वीकार्य

-308-

103	3/96	234.00	एस. एफ. एस धर्मशाला	एस. एफ. एस. धर्मशाला के अनुबन्ध अभीलेख का फोटोस्टेट ।
		63.00	29नं. एच. आई. जी. मकानों का निर्माण नूरपुर ।	29नं. एच. आई. जी. मकानों का निर्माण नूरपुर के अभिलेख का फोटोस्टेट ।
		162.00	29 नं. 6नं. 4नं. एस. एच. सी. नूरपुर	29 नं. 6नं. 4नं. एस. एच. सी. नूरपुर के आरविट्रेशन के अभिलेख की फोटोस्टेट ।
22	3/96	75.00	6नं0श्रेणी-II मकानों स्कूल शिक्षा बोर्ड	शड्यूल मात्रा की फोटो कापी
		130.00	29नं. एच. आईजी. नूरपुर	डिफैन्स जुवाव की फोटो कापीयां ।
23	3/96	80.00	18नं. श्रेणी-III स्कूल शिक्षा बोर्ड	शड्यूल मात्रा की फोटो कापियां ।
		1612.00रुपये		

§43§ मण्डलीय वाहन जिप्सी एच. आई. के. 460 दिनांक 13.5.95 से 20.5.95 तक चुनाव कार्य के लिए चुनाव कार्यालय धर्मशाला को सौंपी गई । गाड़ी की लागवुक माह 5/95 के अनुसार दिनांक 13.5.95 को गाड़ी मीटर की रिडिंग 90887 तथा दिनांक 20.5.95 को 91503 थी । इस प्रकार चुनाव कार्यालय द्वारा यह गाड़ी कुल 616 किलो मीटर चलाई गई । गाड़ी कुल के उक्त प्रयोग हेतु मण्डल कार्यालय द्वारा 11.80रुपये की राशि चुनाव कार्यालय धर्मशाला के खाते में डेविट किए गए । अतः इस राशि को यथा शीघ्र वसूल करना सुनिश्चित किया जाए । इसी प्रकार मास 12/95 के दौरान चुनाव कार्यालय द्वारा कुल 450 कि. मीटर चलाई गई गाड़ी की 12.80रुपये प्रति कि. मी. की दर से राशि 5760/=रुपये की वसूली शीघ्र की जाए ।

§44§ माह 5/95 के दौरान गाड़ी में लोगवुक के अनुसार कुल 180 लीटर पैट्रोल डलवाया गया 3 लीटर पैट्रोल माह 4/95 का शेष था । तथा 5/95 के अन्त में 37 लीटर पैट्रोल शेष बताया गया था । इस प्रकार 5/95 के दौरान कुल 146 लीटर पैट्रोल की खपत की गई तथा लौग वुक के अनुसार 5/95 के दौरान 1344 किलो मीटर सफर तय किया गया । अतः गाड़ी की तेल की औसत खपत 9.20 किलो मीटर प्रति लीटर बनती थी जबकि लौग वुक के अनुसार तेल की औसत खपत 7 किलो मीटर प्रति लीटर दिखाई गई थी अतः गाड़ी में तेल की कम औसत खपत का औचित्य स्पष्ट किया जाए । अन्यथा पैट्रोल की अधिक खपत का कीमत की वसूली शीघ्र की जाए ।

लगातार पृष्ठ 48 पर... ...

केवल 100/=रु. देय है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजों प्रतिलिपियां अस्वीकार्य

§45§ वाहन की लागबुक के कालम नं0 9 अनुसार यात्रा का उद्देश्य विवरण सहित, यदि यात्रा सरकारी कार्य हेतु की गई हो, लिखा जाना वांछित था । लाग बुक की जांच करने पर पाया गया कि कि लागबुक के उक्त कालम में केवल आफीशियल शब्द ही लिखा गया था तथा ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित सारा व्यय भिन्न-2 निर्माण कार्यों पर डाला जाता रहा था । यात्रा से सम्बन्धित उद्देश्य सहित पूर्ण विवरण न लिखने के अभाव में निम्न यात्रा को ओफिशी-यल नहीं माना जा सकता । अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न लिखित मासो में निम्न विवरणानुसार भारी मात्रा में ऐसी ही यात्राएं की की गई बताई गई थी परन्तु इन यात्रा से सम्बन्धित कोई भी विवरण लागबुक में उपलब्ध नहीं था । ऐसी यात्राओं से सम्बन्धित व्यय की वसूली गाड़ी की आऊट टर्न दर से की जानी सुनिश्चित की जाए । यह अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यावाही हेतु लाई जाती है ।

क्र.सं.	माह	यात्रा कि0मी0	गाड़ी की आऊट टर्न दर
1.	4/95	330	11.80 रुपये
2.	5/95	253	11.80रुपये
3.	6/95	147	11.80रुपये
4.	7/95	1611	11.80रुपये
5.	8/95	255	11.80रुपये
6.	9/95	805	11.80रुपये
7.	10/95	376	12.80रुपये
8.	11/95	640	12.80रुपये
9.	12/95	263	12.80रुपये
10.	1/96	583	12.80रुपये
11.	2/96	1033	12.80रुपये
12.	3/96	353	12.80रुपये

§46§ लागबुक के अनुसार माह 2/96 के दौरान मण्डलीया वाहन द्वारा कुल 3405 किलो मीटर सफर तय किया गया बताया गया था । गाड़ी के मीटर के मुताबिक दिनांक 1.2.96 को रिडिंग 13826 तथा 29.2.96 को 17131 थी । इस प्रकार वाहन द्वारा माह 2/96 के दौरान कुल तय किया गया सफर केवल 3305 किलो मीटर ही बनता था । अतः वास्तव में तय की गई दूरी से भी 100 किलो मीटर सफर का व्यय भिन्न=2 निर्माण कार्यों पर 12.80रु. प्रति किलो मीटर की दर से कुल 1280रुपये की राशि अधिक डेबिट की गई थी । अतः इस अनियमितता का शीघ्र सुधार किया जाए । इसके अलावा माह 2/96 के दौरान पैट्रोल की खपत 6.50 किलो मी मीटर प्रति लीटर बताई गई थी जिसके आधार पर माह 2/96 के दौरान 3305 लीटर तेल की वास्तविक खपत होनी चाहिए थी जबकि इस मास के दौरान तेल की कुल खपत 523 लीटर बताई

लगातार पृष्ठ 49 पर......

केवल 100/=रु. देय है । इसके
अतिरिक्त निम्नलिखित दवा

-310-

गई थी । इस प्रकार पैट्रोल की 14.5 लीटर की खप्त अधिक बताई गई जिसकी कुल कीमत 247.22रुपये बनती थी ।इस राशि की वसूली दोषी से शीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए ।

§47§ मण्डलीय वाहन संख्या जिप्सी एच.आई.के 460 की मास 4/95 की लाग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि मास 4/95 में की गई सभी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं लिखा गया था । इस मास यह वाहन कुल 2266 किलोमीटर चलाया गया तथा सम्बन्धित कालम संख्या में बिना किसी टिप्पणी के ही मास 4/95 में की गई सभी यात्राओं को शासकीय दर्शाया जाना अतिआपत्ति जनक है । इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा किया जाए अन्यथा इन यात्राओं से सम्बन्धित व्यय की वसूली दोषियों से शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

§48§ विभिन्न कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्नलिखित औषधियों/मदों की प्रतिपूर्ति की गई जो उन्हें प्रत्येक औषधि के सामने वर्णित कारणों/तथ्यों के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य नहीं थी । अतः ऐसी औषधियों की कीमत इत्यादि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

समायोजन वा0 सं0	दावे की राशि	कर्मचारी का नाम	अदेय राशि	टिप्पणी
46,9/95	1258.00	श्री देसराज सर्वेयर	45.50	दवाई तिथि 19.7.95 को लिखी गई लेकिन खरीद कैश मैमों सं03306 तिथि 23.7.95 द्वारा तिथि23.7.95को की गई । अतः दवाई 3 दिनों के भीतर नहीं खरीदी गई इसलिए राशि 45.50रु. देय नहीं है ।
यथोपरि-	138.00	श्री रोशन लाल	80.00	ऐक्सरे की कीमत देय नहीं क्योंकि ऐक्सरे सरकारी हस्पताल में नहीं करवाया गया है और न ही कोई एन.ओ.सी. हस्पताल के ऐक्सरे विभाग द्वारा जारी किया हुआ बिल के साथ लगाया गया था ।
35,3/96	712.00	श्री रोशन लाल वरिष्ठ सहायक	399.90	अल्ट्रासाउंड करवाये जाने हेतु राशि मु0450/=रु. के बजाए केवल 100/=रु. देय है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दवाइयां प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य थी

— 311 —

गंसान्तुक बटी	17.90
नारी के लवण	10.00
वातविध्वस रस	22.00
	49.90

35,3/96	387.00	श्री रोशन लाल वरिष्ठ सहायक	49.90	दवाई मोबीजोक्स ‹MOBIZOX› और अबेक्ट ‹ABACT -500› की कीमत 49.90रू. देय नही थी क्योंकि खरीद की तिथि 6.11.95 को यह दवाईयां चिकित्सा अधिकारी द्वारा नहीं लिखी गई थी ।
यथोपरि-	301.00	श्री रोशन लाल वरिष्ठ सहायक	51.30	दवाई डाईजिन‹DIGENE› प्रतिपूर्ति हेतु अस्वीकार्य थी ।
36,3/96	37.00	श्री प्रकाश चन्द ड्राईवर ।	12.00	दवाई सक्सी देय नहीं थी ।

‹49› निम्नलिखित विवरणानुसार प्रत्येक कर्मचारी के नाम सामने दर्शाई गई टिप्पणियों के अनुसार निम्नलिखित राशियों का यात्रा भत्तों के रूप में अधिक भुगतान कियागया है । अतः अधिक भुगतान की गई राशियों की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

न	दावे की राशि	अधिकारी/कर्मचारी कर्मचारी का नाम	यात्रा भत्ता मास	अधिक भुगतान की राशि	विवरण
5	237.00	श्री रोशन लाल वरिष्ठ सहायक	6/95	24.50	पठानकोट में तिथि 22.6.95 को अनुचित ठहराव क्योंकि कर्मचारी 3 बजे शाम को पहुंच चुका था और कार्य केवल ठेकेदार को सूचना देना था ।
5	386.00	श्री एच.एल.धीमान कनिष्ठ अभियन्ता	7/95	24.50	तिथि 12.7.95 को पालमपुर के लिए अग्रिम यात्रा की।
5	624.00	श्री ठाकुर पाल शर्मा वरिष्ठ सहायक	7/95	24.50	हमीरपुर में 23.7.95 को अनुचित ठहराव ।
5	1686.00	श्री एन.के.शर्मा	2/96	21.00	26.2.96 व 28.2.96 को कर्मचारी की अनुपस्थिति मुख्यालय से बाहर 12 घंटे थी। अतः इन दिनों के लिए दैनिक भत्ता 70% देय था लेकिन कर्मचारी को पूरा दैनिक भत्ता दिया गया अतः राशि 21.00 रू. की वसूली करें ।

लगातार पृष्ठ 51 पर......

-312-

96 700.00	श्री धनंजय ठाकुर	3/96	60.00	16.3.96 को कर्मचारी द्वारा सांय 5 बजे धर्मशाला से शिमला के लिए यात्रा की गई। 17.3.96 को शिमला में ठहराव दिखाया गया। जबकि 17.3.96 को रविवार था इस दिन के लिए दैनिक भत्ता व होटल किराया अदेय था क्योंकि कर्मचारी के रविवार का शिमला में ठहराव का कोई भी औचित्य नहीं था अतः SR 72.A(i)b §3§ के तहत दैनिक भत्ता देय नहीं था।
424.00 ...र-6	श्री के.के.सूद कनिष्ट अभियन्ता	7/95	17.00	दैनिक भत्ता
...-12 608.00	श्री राकेश शर्मा ऐ. ई.	10/95	28.00	-"-"-"-
...-23 289.00	श्री कश्मीरी लाल सुपरवाईजर	12/95	13.00	-"-"-"-
...-34 613.00	-" -" -"-	1/96	26.00	-"-"-"-
...6 300.00		6/95	25.00	-"-"-"-
...6 470.00 ...र=35	श्री वीरेन्द्र कायस्था कनिष्ट अभियन्ता	1/96	70.00	बस का किराया
...44 745.00	श्री मस्त राम, फिटर	1/96	40.00	दैनिक भत्ता
... 325.00 ...र=35	श्री एच.एल.धीमान कनिष्ट अभियन्ता	1/96	36.00	16.1.96 को प्रातः 7 बजे पपरोला से धर्मशाला बस द्वारा सांय 8 बजे।

§50§ <u>भुगतान वाउचर सं0 19 दिनांक 5.9.95 राशि मु0 1111/=रुपये</u>

श्री प्रकाश चन्द, चालक के स्थानान्तरण पर अधिशाषी अभियन्ता, मण्डी के पत्र संख्या: एच.बी./एम.डी./ए.वी./ए.-8/9-1955 दिनांक 8.8.95 द्वारा अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र अनुसार श्री प्रकाश चन्द, चालक से मास 10/94 में गाड़ी नं. एच.आई. ए. 143 की 605 किलोमीटर अधिक यात्रा दर्शाए जाने के कारण राशि मु0 6679.50रुपये§ छः हजार छः सौ उन्नासी रुपये पच्चास पैसे§ वसूल किये जाने वांछित थे। लेकिन इस राशि को अभी तक भी उपरोक्त कर्मचारी से वसूली नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में शीघ्र यथोचित कार्यवाही करके तथा राशि की वसूली सहित सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए। इस राशि की शीघ्र वसूली न किए जाने के कारणों से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

लगातार पृष्ठ 52 पर....

§51§ समायोजन वाउचर संख्या 52 दिनांक/मास 9/95 राशि 41,175/=रु.

निर्माण कार्य - हाईट विलिंग चम्बा,
प्राबाईडिंग एक्सटेंशन,
सिवरेज सिस्टम.

अनुबन्ध संख्या : 13 वर्ष 1991-92.

उपरोक्त कार्य से सम्बन्धित माप-पुस्तिका संख्या 760 के अवलोकन पर पाया गया कि तृतिया/अन्तिम बिल तक इस कार्य पर 500 बोरियां सीमेन्ट की खपत की गई थी । अनुबन्ध क्लाज 42 के अनुसार प्रत्येक चलित बिल के साथ संविदाकार को यह प्रमाण पत्र देना होता है कि खाली सीमेंट की बोरियां प्राधिकृत सीमेंट बैग कोलैक्टिंग एजेंट को दे दी है । अगर चलित बिल के साथ प्रमाणपत्र नहीं हो तो संविदाकार से कुल खपत की गई बोरियों का 90% की वसूली, एक रुपये प्रति बोरी की दर से करनी होती है । उपरोक्त बिलों के साथ न तो वांछित प्रमाण पत्र ही था और न ही खाली बोरियों की कुल कीमत 450 रुपये §500x90x1.00§ की वसूली की गई थी । अतः संविदाकार से राशि मु0 450/=रुपये की वसूली करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा पर दिखाई जाए ।

§52§ समायोजन वाउचर संख्या 22 दिनांक 1.9.95 राशि 4071/=रुपये:-

उपरोक्त समायोजन वाउचर की जांच पर पाया गया कि धर्मशाला मण्डल के पालमपुर उपमण्डल के अधीन विन्द्रावन सैक्शन में स्टाक की देखभाल हेतु दिन व रात चौकीदारी करने के लिए तीन मजदूरों को दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था । परन्तु यह पाया गया कि आवास बोर्ड के विभिन्न मण्डलों के अधीन अन्य सभी उपमण्डलों में स्टाक व स्टोरेज की दिन व रात देखभाल हेतु केवल दो ही चौकीदार नियुक्त किए जाते रहे हैं । अतः विन्द्रावन सैक्शन में स्टाक व स्टोरेज की दिन व रात देखभाल हेतु तीन मजदूरों को दैनिक वेतन पर नियुक्त करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा तीसरे दैनिक भोगी मजदूर को उसकी नियुक्ति की तिथि से लेकर आज तक भुगतान की गई कुल मजदूरी के भुगतान बारे उत्तरदायित्व निर्धारण करके भुगतान की गई कुल राशि की वसूली शीघ्र करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ।

§53§ लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर लिया गया ।

लगातार पृष्ठ 53 पर.....

-314-

{54} निष्कर्ष - पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । लेखाओं के रख रखाव में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
उप-नियन्त्रक{लेखा परीक्षा},
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन{एल. ए.{2}सी}{5}{4}।19/88 कांड-4 दिनांक, शिमला-2. 1 JUN 1997 4666-69

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है: -

पंजीकृत:

1. कार्यपालक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश, आवास बोर्ड मण्डल, धर्मशाला जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र भेजें ।
2. आयुक्त एवं सचिव{आवास} हि0 प्र0 शिमला-2.
3. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता हि0 प्र0 आवास बोर्ड निगम विहार, शिमला-2.
4. श्री होशियार सिंह, उप नियन्त्रक{ले0प0} द्वारा.... ....

10/1/97

उप-नियन्त्रक{लेखा परीक्षा},
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

=-=-=-=